



अभिव्यंजना

'युवा लड़कियों की कलम से'

चरखा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क
फ्लैट नंबर -12 ए, वसंत अपार्टमेंट्स , वसंत विहार, नई
दिल्ली – ११००५७ , इंडिया

टेलीफोन नंबर - +91 7042293792
ईमेल- info@charkha.org

संकल्पना:

चेतना वर्मा
प्रबंधक - कार्यक्रम और संपादकीय
चरखा

संपादन:

शम्स तमन्ना
सलाहकार संपादक

डिजाइन:

तन्वी लोमेश
परियोजना सहयोगी

विशेष सहयोग:

दीपसिखा देवी
परियोजना सहयोगी तथा सहायक अंग्रेजी संपादक
चरखा

Copyright © 2021

चरखा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क



चरखा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्व. मारिओ सी. नोरहोना को समर्पित।

अभिस्वीकृति

यह पुस्तक ग्रामीण क्षेत्रों की किशोरियों और महिलाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चरखा की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पुस्तक के प्रकाशन में लश, कनाडा का विशेष सहयोग है, जिन्होंने आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की। हम सबसे पहले चरखा के सीईओ स्व. श्री मारियो नोरोहना को धन्यवाद देते हैं, जो इस वर्ष अप्रैल में कोरोना संक्रमण से पीड़ित होने के बाद हम सब से जुदा हो गए। हम महिला जन अधिकार समिति, राजस्थान के बहुत आभारी हैं जिन्होंने चरखा के साथ सहयोग किया और हमें उनके कार्य क्षेत्र की युवा, ऊर्जावान किशोरी लड़कियों से जुड़ने में मदद मिली। जिन्होंने प्राप्त आलेखों को हम संकलित करने के लिए प्रेरित हुए हैं। हम इन कहानियों की युवा महिला लेखकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ साझा किया और हमें उनके संघर्ष का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े हमारे ग्रामीण लेखकों द्वारा निभाई गई मूल्यवान भूमिका को भी स्वीकार करते हैं, जो हमें बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए प्रतिदिन प्रेरित करते रहते हैं।

एक धन्यवाद शब्द चरखा के अध्यक्ष श्री तिलक मुखर्जी और बोर्ड के सभी सदस्यों का भी, जिनका निरंतर समर्थन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। अंत में, श्री शम्स तमन्ना, सलाहकार संपादक (हिंदी), चरखा का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने इन कहानियों का मौलिक स्वरूप और उसके भावों को स्थापित रखते हुए उसे संपादित किया है।

यह पुस्तक हम देश की हर उस लड़की को समर्पित करते हैं, जिन्होंने पितृसत्ता के खिलाफ खड़े होने का साहस किया है और निरंतर करती रहती हैं।

प्रस्तावना

कलम के माध्यम से ग्रामीण लेखकों की आवाज़ को मंच देने वाली चरखा ने एक बार फिर अपने उद्देश्य को सार्थक किया है। देश के दूर दराज़ ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों विशेषकर महिलाओं, किशोरियों, दलितों, आदिवासियों, किसानों और दिव्यांगों के मुद्दों को सफलतापूर्वक प्रकाशित करवाने का काम करता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, चरखा ने उन ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं पर विशेष रूप से फोकस किया है, जिन्हें अधिकतर नज़रअंदाज़ किया जाता रहा है।

इस पहल में लेखन में रुचि रखने वाली महिलाओं, किशोरियों एवं उनसे जुड़े मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाओं के साथ मिल कर, चरखा लेखन कार्यशाला का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य उन्हें लेखन में सशक्त बनाना है, ताकि वह पुरुष आधिपत्य वाले मीडिया मंच पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो सकें और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को महिलाओं के ही माध्यम से सामने ला सकें। इसी कड़ी में राजस्थान स्थित अजमेर के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और किशोरियों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने वाली संस्था महिला जन अधिकार समिती के संपर्क में चरखा आया। यह जानने के बाद कि ग्रामीण किशोरियों को ग्रासरूट पत्रकारिता की ट्रेनिंग देती है, लेकिन उनके आलेख कहीं प्रकाशित नहीं होते हैं, ऐसे में चरखा ने लेखन कार्यशाला के माध्यम से उन्हें मुद्दों की समझ बनाने और उनके आलेख को मुख्यधारा की मीडिया में प्रकाशित करवाने का प्रस्ताव रखा।

इसी वर्ष, 2021 में चरखा ने उनकी ग्रासरूट पत्रकारिता की छात्राओं को लेखन कार्यशाला के माध्यम से मुद्दों को समझने, समाचार और आलेख में अंतर, फील्ड से जुड़ी नैतिकता तथा आलेख लिखने के नियमों से परिचित कराया। इस ऑनलाइन कार्यशाला में संस्था की करीब 28 किशोरियों और महिलाओं ने भाग लिया। जिसके बाद उन सभी ने अपनी समझ के अनुसार विभिन्न सामाजिक मुद्दों, कुरीतियों और सकारात्मक आलेख चरखा को प्रेषित किया।

इनमें बाल विवाह, महिला शिक्षा, माहवारी की समस्या, छुआछूत, अंधविश्वास, घूंघट प्रथा, लॉकडाउन के दौरान महिलाओं की समस्या, महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण, किशोरियों को होने वाली समस्याएं, महिला सुरक्षा, शराब के दुष्प्रभाव और पानी की समस्या के साथ साथ फुटबॉल के माध्यम से पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती देती किशोरियों से जुड़े सकारात्मक आलेख प्रमुख हैं। कुछ संपादित अंशों के साथ हम यहां उनके आलेख को हूबहू प्रकाशित कर रहे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य उनके उन भावों को सम्मान देना है, जो वह समाज में देख रही हैं और अपनी कलम के माध्यम से उसे उचित मंच तक पहुंचाना चाहती हैं। इनमें से कुछ आलेखों को चरखा के संपादकीय मंडल ने हिंदी और अंग्रेजी के विभिन्न समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और वेबसाइटों में प्रकाशित करवाने का निर्णय भी लिया है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है।

अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि ग्रामीण महिलाओं से जुड़े मुद्दों को मंच प्रदान करना वर्तमान समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। देश की इस आधी आबादी के सामने बहुत सारी समस्याएं और चुनौतियां हैं, जिसे वह कहना चाहती हैं, लिख कर बताना चाहती हैं लेकिन शायद समाज अभी तक इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। ऐसे में महिला जन अधिकार समिति के साथ मिलकर चरखा का यह प्रयास समाज की सोच को बदलने में मील का पत्थर साबित होगा। महिला जन अधिकार समिति की लेखिकाओं को शुभकामनाएं। आशा है कि भविष्य में महिलाओं और किशोरियों से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाली अन्य संस्थाएं और स्वतंत्र लेखिकाएं भी चरखा के इस पहल से जुड़ेंगी।

टीम चरखा

विषयसूची

| | |
|----------------------------|--------|
| अभिस्वीकृति | 3 |
| प्रस्तावना | 4-5 |
| परिचय | 7 |
| महिला जन अधिकार समिति | 8-9 |
| किशोरियों द्वारा लिखे आलेख | 10 -96 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| ममता मीणा | मेरी सदुम्हा |
| अनू रेगर | मोनिका मेघवंशी |
| आशा भील | नीरज गुर्जर |
| दीपिका सोनी | निर्मला राठौड़ |
| दीक्षा जैलिया | पूजा गुर्जर |
| डिम्पल राठौड़ | सरोज कुमारी गुर्जर |
| कोमल कंवर | शम्भू देवी सेन |
| कुशल सिंह राजपुरोहित | शहनाज़ शेख |
| लक्ष्मी कुमारी रेगर | शुभांगनी सूर्यवंशी |
| लीला गुर्जर | शीला बैरवा |
| मैना बैरवा | प्रियंका मीणा |
| माया गुर्जर | टीना कुमावत |
| मेहर बानो | कामिनी कुमारी |
| मेहराज | |

परिचय

चरखा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क

दो तरफ़ा संवाद के रूप में कार्यरत 'चरखा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क' एक गैर सरकारी व अलाभकारी संस्था है, जो देश के दूर-दराज़ और संवेदनशील क्षेत्रों की समस्याओं और उपलब्धियों को मीडिया के माध्यम से उजागर करने का कार्य करता है। यह काम चरखा से संबद्ध ग्रामीण लेखक द्वारा पूरा किया जाता है। ऐसे लेखक, स्थानीय निवासी होते हैं और कलम के माध्यम से बेहतर और प्रमाणिक रूप से अपने क्षेत्र की समस्याओं अथवा उपलब्धियों को आलेख के माध्यम से बयां करने की क्षमता रखते हैं। चरखा द्वारा प्रेषित उनके आलेखों को देश को देश की तीन प्रमुख भाषाओं हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी के समाचारपत्रों, पत्रिकाओं तथा वेबसाइटों पर निरंतर प्रकाशित किये जा रहे हैं। तीन प्रमुख भाषाओं में कार्य वाली 'चरखा' देश की एकमात्र फीचर सर्विस है। जिसे लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड ने भी प्रमाणित किया है।

तो तरफ़ा संवाद के दूसरे रूप में चरखा, अपने अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली इन्हीं ग्रामीण लेखकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जागरूक करवाने का काम करती है ताकि समुदाय को स्वालंबी और आत्मनिर्भर बनाने में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यह कार्य परिचर्चा, कार्यशाला और क्षेत्र भ्रमण (फील्ड विज़िट) के माध्यम से किया जाता है। इस दौरान ग्रामीण लेखकों को पंचायत सदस्यों और सरकारी अधिकारियों से भी रूबरू होने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है ताकि आलेख में सभी पक्षों के संवाद को संतुलित और न्यायसंगत रूप प्रदान किया जा सके।

चरखा की स्थापना अक्टूबर 1994 में युवा सामाजिक कार्यकर्ता संजॉय घोष ने की थी। उनके अनुसार समाज के हाशिये पर खड़े लोगों की आवाज़ को मीडिया में उचित मंच प्रदान नहीं होता है। एलफिंस्टन कॉलेज, मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ़ रूरल मैनेजमेंट, आनंद, गुजरात, जोन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय, अमेरिका तथा ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय, लंदन के भूतपूर्व छात्र रहे संजॉय, उर्मुल रूरल हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, राजस्थान के संस्थापक सचिव तथा एसोसिएशन ऑफ़ वॉलेंट्री एजेसिज़ इन रूरल डेवलपमेंट (AVARD), नई दिल्ली के महासचिव के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। जुलाई 1997 में असम के माजुली द्वीप से उल्फा उग्रवादियों ने इनका अपहरण कर लिया। उस समय वह AVARD के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में टीम लीडर के रूप में कार्य कर रहे थे।

संजॉय का जुदा होना 'चरखा' के लिए अपूरणीय क्षति है

महिला जन अधिकार समिति

महिलाओं की आवाज़ एक्शन के साथ

महिला जन अधिकार समिति (MJAS) महिलाओं के नेतृत्व में बनी एक ग्रासरूट्स नारी अधिकारवादी (फेमिनिस्ट) संस्था है। यह 1990 की दशक में राजस्थान में चल रहे महिला आंदोलन और देश भर में चल रहे जन आंदोलनों के साथ जुड़कर स्थानीय स्तर पर महिलाओं को एकजुट करने की पहल थी। ग्रामीण महिलायें अपने साथ की गैर बराबरी और हिंसा के मुद्दों पर एक दूसरे को सहारा देते हुए विकास के ऐसे मॉडल, जो गरीबों को ज्यादा हाशिये पर धकेलते हैं, उसके खिलाफ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने को जागरूक और तत्पर थीं। इसी कड़ी में मध्य राजस्थान में एक बड़ी परियोजना 'बीसलपुर बाँध' निर्माण के समय उठी समस्याओं के निवारण - विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दों को लेकर एक सामूहिक आंदोलन खड़ा हुआ। जो वर्ष 2000 से एक रजिस्टर्ड संगठन के रूप में कार्यरत है। यद्यपि संस्था मध्य राजस्थान में सक्रिय है किन्तु समिति का प्रमुख कार्यक्षेत्र अजमेर जिले में है।

महिला जन अधिकार समिति महिलाओं खासकर युवा नेत्रियों के लीडरशिप में सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है। समिति का काम मुख्यतः समाज के हाशियाई समूह - आदिवासी, दलित, घुमंतू समुदाय, महिलाएँ, किशोरियाँ और बच्चे तथा पंचायत महिला जनप्रतिनिधि के साथ है। संस्था महिलाओं और लड़कियों के साथ अलग-अलग मुद्दों पर काम करती है जिनमें लड़कियों और महिलाओं के लिए सम्मान, सुरक्षा और हिंसा से मुक्ति, गैर बराबरी युक्त सामाजिक परम्पराओं को बदलना, जन स्वास्थ्य प्रणाली के तहत सेहत और पोषण, बच्चों के लिए शिक्षा और संरक्षण, आदि प्रमुख हैं।

समिति द्वारा अजमेर जिले में महिला सशक्तिकरण के अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जिसके अंतर्गत फुटबॉल फॉर फ्रीडम, यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड गर्ल्स अलायन्स ने लड़कियों को खेल और तकनीक के माध्यम से अभिव्यक्ति सिखाई है। अजमेर और केकड़ी में युवा नेतृत्व के तहत चल रहे दो टेक सेंटर लड़कियों के लिए एक ऐसी जगह है, जहाँ नारीवादी दृष्टिकोण से लड़कियों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। साथ ही अलग अलग गाँवों में 24 से ज्यादा किशोरी मंच बने हैं, जहाँ लड़कियाँ साथ आकर कई मुद्दों को उठाती हैं और अपनी बात रखती हैं। वहीं खुले सार्वजनिक मैदान में आकर 200 से भी ज्यादा लड़कियों का खेल पाना एक जबरदस्त आज़ादी और एकजुटता का अहसास दिलाता है।

महिला जन अधिकार समिति महिलाओं और लड़कियों के लिए एक लर्निंग स्पेस, नॉन जजमेंटल सुरक्षित जगह है जहाँ वे अपनी रचनात्मकता और दिलचस्पी के अनुसार अलग अलग कौशल सीख और सिखा सकती हैं और स्वयं को खुश और मजबूत बना सकती हैं।


समिति विभिन्न रूपों, तरीकों से महिलाओं और लड़कियों के साथ काम करती है जिसमें उनके कौशल को विकसित करना, नारीवादी नज़रिये को सशक्त करना, बराबरी और न्याय के अधिकार तक उनकी समझ व पहुँच बढ़ाना और सक्रिय नागरिक के रूप में उनकी भूमिका को सशक्त करना शामिल है।

संस्था की सर्वरूपी कोशिशों - जैसे क्लासरूम ट्रेनिंग और वर्कशॉप, नियमित चर्चाएँ, एक्सपोज़र, विषय विशेषज्ञों से मुलाकात, अनेक अभियानों में भागीदारी और संचालन से युवा महिलाएं और लड़कियाँ पितृसत्ता के दायरे तोड़ते हुए अपने लिए एक सक्रिय नेटवर्क बनाने के लिए प्रेरित होती है। वे अन्य हितग्राहियों के साथ रूबरू होती हैं जिसमें शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और पंचायत के प्रतिनिधि शामिल हैं। महिला जन अधिकार समिति का लक्ष्य है कि युवा महिलाएँ अपनी क्षमता को पहचान कर, अपना लक्ष्य खुद बनायें, उसे क्रियान्वित कर सकें और अपने जीवन पर स्वाधिकार पा सकें। लड़कियों के लिए नियमित शिक्षा, भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रथाओं का हनन, परिवार और समुदाय के निर्णयों में भागीदारी, स्वयं और दूसरों की सुरक्षा के लिए योग्यता बढ़ाना, खेल और मनोरंजन के अवसर, हिंसा और धमकाने जैसे मुद्दों पर कार्यवाही, पंचायत और जिला स्तर पर की जा रही सरकारी प्रक्रिया में भागीदारी, किशोरियों के लिए माहवारी, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य की शिक्षा, खेलने व जीतने के अवसर, तकनीकी प्रयोग तक पहुँच और दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल आदि लक्ष्यों को लेकर संस्था में कार्यक्रम डिजाइन किये जाते हैं।

ग्रासरूट पत्रकारिता

महिला जन अधिकार समिति ने वर्ष 2021 में किशोरी युवतियों में नेतृत्व विकास और सशक्त सक्रिय नागरिक की भूमिका को उभारने का अवसर देने के उद्देश्य से ग्रासरूट्स पत्रकारिता का पाठ्यक्रम शुरू किया। जनवरी से सितम्बर के मध्य संचालित इस पाठ्यक्रम के प्रथम बैच में 32 ग्रामीण युवतियाँ ग्रेजुएट हुई हैं। यह समिति के एक प्रमुख कार्यक्रम 'किशोरी डिजिटल बने सक्षम' के तहत फेमिनिस्ट अप्रोच टू टेक्नोलॉजी की अप्रोच के साथ शुरू हुआ। इस कोर्स में दो प्रमुख हिस्से थे - एक मोबाइल डिवाइस. तकनीकी को सीखना और उसका उपयोग बेहतर तरीके से दैनिक कामों में कर पाना, दूसरा ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से - सिद्धांत और अनुभव से पत्रकारिता के विभिन्न आयामों को सीखना।

इस कोर्स की अधिकतर सहभागी ग्रामीण परिवेश से हैं। मुख्यधारा की पत्रकारिता और वैकल्पिक प्रिंट और विडियो माध्यमों के साथ उनके लिए सोशल मीडिया, साइबर क्राइम और सुरक्षा, फेक न्यूज़ जैसे जरूरी सेशन रखे गए। साथ ही विभिन्न गेस्ट लेक्चर में संविधान की समझ, सूचना का अधिकार, अभियान, सरकार का जन सूचना पोर्टल और ई-मित्र प्लस जैसे शैक्षणिक अवसर रहे तो लिंग भेदभाव और एलजीबीटी क्यू जैसे विषयों पर सहभागियों ने समझ बनाई। कोर्स के दौरान उनके अनेक एक्सपोज़र विजिट कराये गए, जिसमें केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, दैनिक भास्कर प्रेस अखबार का ऑफिस शामिल है। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य यह है कि लड़कियाँ पत्रकारिता के माध्यम से अपने गाँव के मुद्दों को मुख्यधारा में लाने का माध्यम बनें।





ममता मीणा
धुंधरी, अजमेर



धुन्धरी गांव की रहने वाली 26 वर्षीय ममता मीणा बीए द्वितीय वर्ष की स्वाध्यायी छात्रा हैं और वर्तमान में महिला जन अधिकार समिति के हेल्थ एंड न्यूट्रीशन मुद्दों पर काम कर रहीं हैं। वह संस्था में पहली बार अपना तलाक का केस लेकर आई थी। केस के दौरान उसने संस्था में काम करने की बात रखी और वही टेक सेंटर में कम्प्यूटर सीखने लगी। इससे पहले वह महिला समूह में काम करती थी। संस्था में जुड़ने के बाद गाँव से बाहर आने जाने में उनकी झिझक दूर हुई, ससुराल वालों का सामना करने की ताकत मिली, अपनी बातों को खुलकर लोगों के सामने रखने लगीं जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। ममता का मानना है कि इस तरह की संस्थाओं का गाँव की लड़कियों के साथ जुड़ाव होने से लड़कियों और परिवार के सदस्यों में जागरूकता का अभाव मिटता है और गांव के मुद्दे बाहर आते हैं।

चरखा संस्था द्वारा जो वर्कशॉप करवाया गया उसमें ममता का यह अनुभव रहा कि सामाजिक विषय व मुद्दों पर व्यक्तिगत रूप से बात कर पाना मुश्किल है, उसी बात को लेखन के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने और उनको समझाने का आसान तरीका है।

बाल-विवाह

ममता मीणा



PICTURE COURTESY: UNICEF

अजमेर से 95 किलोमीटर की दूरी पर धुंधरी गाँव बसा हुआ है। इस गाँव में बाल विवाह बहुत होता है। जिसमें कहार और कुमावत समाज में ज्यादा बाल विवाह होते हैं। इसके कारण लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है। इस गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है। फिर भी लगभग 100 बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। लगभग 120 बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं। बाल विवाह के कारण रिश्ते भी बहुत खराब होते हैं। कहार समाज में तो पहले ही लड़की के माता पिता सोच लेते हैं कि रिश्ता नहीं भी रखेंगी लड़की तो कोई बात नहीं, हम तो हमारा फर्ज पूरा कर देते हैं।

यह गाँव आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बहुत ही पिछड़ा है। इस गाँव में जैन और ब्राह्मण समाज के लोग ही सरकारी कर्मचारी हैं। बाल विवाह के कारण लड़कियों पर बहुत हिंसा भी होती है। लड़कियों पर छोटी उम्र में ही काम का बोझ पड़ जाता है। लड़के भी 12वीं के बाद आगे पढ़ाई नहीं करते हैं और कमाने के चक्कर में खुद का भविष्य खराब कर देते हैं। कम उम्र में शादी और फिर माता पिता बन जाने से स्वयं बच्चों को समझ ही नहीं आता कि बच्चों को पालन करे या पढ़ाई करके भविष्य बनाएँ? 4 साल के बच्चे की शादी कर देते हैं। कुमावत समाज में तो बच्चों के आठा साठा के रिश्ते करते हैं। लड़की को उसके भाई, चाचा, मामा के आठा साठा रिश्ता करते हैं। कई लड़कियों के माँ बन जाने के बाद भी रिश्ता टूट जाता है। बच्चों से भी माँ को दूर कर देते हैं।

महिलाओं पर कई प्रकार के आरोप भी लगाए जाते हैं जैसे ये तो डायन है, कामचोर है, चोरी करती है, बिना इज्जत रहती है, आवारा है आदि जैसे लांछन लगाए जाते हैं। जिससे कई लड़कियां तो डिप्रेशन की शिकार हो जाती हैं। इससे वह अक्सर बेहोश तक हो जाती है तो बोलते हैं कि कोई ऊपर की हवा है। छोटी छोटी उम्र में ही बच्चे पैदा करने के लिए ससुराल वाले दबाव डालने लग जाते हैं। शादी के एक साल तक बच्चे नहीं होते हैं तो लोग दूसरा रिश्ता करने को तैयार हो जाते हैं। पहले पत्नी के साथ मारपीट करने लग जाते हैं। उसे परेशान करके दूसरा रिश्ता कर लेते हैं। जिससे लड़की पियर जाकर रुक जाती है, तो पियर रुकने के बाद कहार समाज में लड़की के घर वालों को समाज बहिष्कार कर देती है। लड़की के माता पिता और उसका पूरा परिवार टूट जाता है।

गरीब परिवार होता है वो तो उनको दण्ड भी नहीं दे सकता तो उसको बहुत टॉर्चर भी करते हैं। परिवार वालों को दिन रात ताना देते हैं कि बेटी को यही बूढ़ी करेगा तो यही हाल होगा। 12 से 13 साल की लड़कियों को ही बूढ़ी बोलने लग जाते हैं। कम से कम 16 साल की लड़कियों के बच्चे हो रहे हैं इस गाँव में। इस गाँव की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही कमजोर है। कुछ युवा लड़के भी ऐसे थे जिन्होंने अपनी पसंद से शादी की लेकिन वह भी अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।

इस गाँव में शादी के टाइम पुलिस चौकी भी लगाई जाती है ताकि बाल विवाह न हो। पुलिस घूमती भी रहती है। फिर भी लोगों में बहुत कम सुधार है। जो बच्चें पढ़े लिखे हैं, वह तो अपनी शादी रोक लेते हैं, लेकिन लड़कियां तो बिल्कुल अनपढ़ होती हैं।

वह तो माँ बाप से कुछ बोल भी नहीं पाती हैं। अगर लड़कियां बोले भी तो माता पिता उनकी आवाज़ को दबा देते हैं। शादी के लिए हाँ तो कर देती हैं लेकिन बाद में बहाना बना लेती हैं कि अब जाना नहीं है। अब तो सरपंच भी पुलिस को बुला लेते हैं। इस साल 9 बच्चों का बाल विवाह रुकवाया गया है। लोगों को लगने लग गया है कि कही पकड़ लेंगे तो पैसे लगेंगे।

हालांकि एक सकारात्मक बात यह है कि अब बदलते समय के साथ लोगों की सोच में भी परिवर्तन आने लगा है। अब वह लड़कियों को भी पढ़ाने लग गए हैं। वहीं स्कूलों में भी बच्चों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। उन्हें स्कूल में हेल्प लाइन नम्बर भी बताया जाता है, जहां वह फोन करके बाल विवाह रुकवा सकते हैं।

बाल विवाह के साथ अंधविश्वास भी ज्यादा था तो वो भी कम हो रहा है क्योंकि अपनी पसंद की शादी होती है तो लड़की लड़के खुश भी रहते हैं। गांव के 21 वर्षीय एक युवक ज्ञानचंद कहार ने खुद की पसंद की लड़की से शादी की है। वह लड़की भी धुंधरी गाँव के पास एक छोटा सा गाँव ऊंदरी गाँव की रहने वाली है।

ज्ञानचंद ने अपने माता पिता को बोल दिया कि मेरी शादी मैं मेरे हिसाब से करूँगा, बाल विवाह नहीं करूँगा। वर्तमान में वह लड़का अभी काम भी करता है और उसकी पढ़ाई भी जारी है। उसकी पत्नी भी पढ़ाई कर रही हैं। इसी साल उसके चाचा के लड़के की शादी भी करने के लिये सब तैयार थे, लेकिन उसने भी अपने माता पिता को मना कर दिया कि मैं भी भैया के जैसे बड़ा होने के बाद पसन्द की लड़की से शादी करूँगा।

इस गाँव में 2 लड़के इस साल सरकारी नौकरी पर लगे हैं तो उसको देख कर कई और बच्चे शादी पर रोक लगा रहे हैं। कई जॉब पाने के बाद ही शादी करेंगे। शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती है क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बहुत आ जाती हैं जिसके कारण खुद की पढ़ाई जरूरी है। एक अन्य युवक लक्ष्मण मीणा है, जिन्होंने नौकरी लगने के बाद शादी की है। उनको देख कर अन्य युवकों के भी मन में उत्साह हुआ है कि बाल विवाह तो बर्बादी है।

गाँव में युवा लोगों का कहना है कि बाल विवाह बिल्कुल बन्द हो जाये तो रिश्ते भी नहीं टूटे। लोग सरकारी कर्मचारी भी आधे लोग तो बन ही जाए। बाल विवाह का पढ़ाई पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह से लड़कियों को भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ससुराल में लड़की की तो कोई सोचते ही नहीं हैं। बच्चों पैदा करने की सोचने लग जाते हैं। बाल विवाह के कारण कम उम्र में बच्चों पैदा करने पड़ते हैं। जिससे लड़कियों का ऑपरेशन के मध्यम से बच्चों को जन्म देना होता है। एक गर्भवती महिला का वजन 40 से ऊपर भी नहीं जाता है।

कानूनी पचड़े से बचने के लिए आधार कार्ड में भी लड़की की उम्र ज्यादा करवाई जाती है। जबकि उम्र 15-17 के बीच ही होती है। शादी की उम्र में तो 2 से 3 बच्चे हो जाते हैं। लड़की कमजोर हो जाती है। अगर कमजोरी के कारण काम नहीं करती हैं तो उसके साथ मारपीट भी बहुत ज्यादा होती है।



PICTURE COURTESY: UNICEF

एक महिला ममता भील उसकी उम्र 17 साल है। उसके 2 बच्चें हैं। ऑपरेशन भी करवा लिया इसके बाद उसके साथ सास और पति भी अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं। फरि भी ससुराल में ही रहती है। उसके पियर वाले भी बहुत गरीब हैं जो दोनों बहिनों को एक ही घर में दे दी है। छोटी बहन के बेहतर भविष्य के कारण वो घरवालो को कुछ बताती भी नहीं है। अब उसकी छोटी बहन ने दूसरी जगह रिश्ता कर लिया है। अब ममता को उसके पति और सास उसको सही रखते हैं। एक बहन के कारण 3 बहनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है क्योंकि पहले लोग एक भाई के साथ दूसरे भाई की छोटी बेटि की शादी करते थे, लेकिन आज कल वो सिस्टम खत्म हो गया। ***



अनू रेगर

नाईखेडा, अजमेर



20 वर्षीय अनू रेगर बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा है और गांव नाईखेडा की रहने वाली है | महिला जन अधिकार समिति द्वारा किशोरियों को जागरूक बनाने के लिए गांवो में किशोरी बैठकें करवाई जाती हैं। अनू भी किशोरी मंच की सदस्या है और ग्रासरूट जर्नलिज़्म कोर्स से भी जुड़ी है। संस्था से जुड़ने के बाद अनू के सोचने, समझने, बोलचाल में परिवर्तन और लिखने के तरीके में भी सुधार हुआ है। अनू का मानना है कि ऐसी संस्थाओं का गांव की लड़कियों के साथ जुड़ाव होना बहुत जरूरी है क्योंकि आज के समय में भी गांव की ज्यादातर लड़कियां शिक्षा से वंचित है और इसका यह कारण हो सकता है कि वह घर के कार्यों तक ही सीमित रह गई हैं। ऐसे में अगर गांव की हर लड़की को ऐसी संस्था का सहयोग मिले तो वह नई नई जानकारीयों से जुड़कर समझदार, निडर और सशक्त बनेगी।

चरखा द्वारा करवाए गए वर्कशॉप में अनू का यह अनुभव रहा कि एक ग्रामीण पत्रकार के रूप में काम करके गांव की समस्याओं को आलेख के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, आलेख इस तरह से लिखे कि पढ़ने वालों के लिए सवाल छोड़ जाए। पत्रकार को सहज व सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए और अपनी पेन, डायरी तथा जरूरी सामान हमेशा साथ रखनी चाहिए।

महिला समूह के विस्तार से महिलाओं ने खुद को बनाया सक्षम

अनू रेगर



PHOTO: UN WOMEN/GAGANJIT SINGH

हमारे देश में सरकार द्वारा कई सारी योजनाओं का विस्तार किया गया है और इस देश के प्रत्येक नागरिक को उन योजनाओं से जोड़ा गया है। हमारे देश की सरकार ने लोगों को योजनाओं से जोड़ने की साथ साथ कई फायदे भी उपलब्ध कराये हैं। इस देश में कई तरीके की योजनाए लागू की गई हैं जिनमें से एक महिला समूह भी है। यह महिलाओं के लिए लागू की गई एक बहुत ही अनोखी योजना है। इस योजना से देश के अधिकतर गावों की महिलाये जुड़ी हुई हैं। यह एक ऐसी योजना है जो महिलाओं को अपने स्तर पर कुछ करने का हौसला देती है। इन योजनाओं में महिलाओं के समूह बनाये जाते हैं और हर हफ्ते या महीने में मीटिंग रखी जाती है, जिसमें उस समूह की सभी महिलाओ द्वारा बराबर बराबर रूपये एकत्रित किये जाते हैं।

बाद में वह रुपये कम ब्याज पर जिस महिला को जरूरत होती है उसे दे दिए जाते हैं। बाद में उस महिला को वो रुपये किश्तो में देने होते हैं। इस प्रकार कई सारी गरीब महिलाये हैं जो इस समूह योजना की वजह से अपना घर चलाती हैं। साथ ही साथ सभी इन महिलाओ की बचत भी हो जाती है। कई सारी बैंको द्वारा भी महिलाओं को बहुत सारे विषयो पर लोन दिया जाता है जैसे घर लोन एवं जानवर खरीदने के लिए लोन सहित और भी कई सारे व्यवसाय पर लोन दिया जाता है जिससे प्रत्येक महिला अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो और सक्षम बने। साथ ही साथ बैंक जब इन महिलाओं को लोन उपलब्ध करवाता है तो वह उन्हें कई तरीके से छूट भी प्रदान करता है।

इस संबंध में समूह की महिलाओं से बात करने पर पता चलता कि उनके लिए यह योजना किसी लॉटरी से कम नहीं है। इस योजना के सहारे वह अपने परिवार की कई ऐसी जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं जिनके कभी पूरा होने की उम्मीद ही नहीं थी। साथ ही साथ महिला समूह महिलाओं को नौकरी भी प्रदान करता है। कई सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें इस समूह ने नौकरी दी है। अब वह अन्य महिलाओं को इस योजना से जोड़ने के काम करती हैं। यह योजना अधिकतर बिहार राज्य में चलती है और राजस्थान को भी इस योजना की सौगात बिहार ने ही प्रदान की है। अब हमारे राजस्थान की भी अधिकतर महिलाये इस योजना से जुड़ चुकी हैं और उन्होंने इस योजना का कई तरीके से फायदा भी हासिल किया है। इस योजनाओं में महिलाओं को विभिन्न माध्यमों से ट्रेनिंग भी दी जाती है। ताकि वह सक्षम बने और अपने स्तर पर कुछ कर सके।

अब इस योजना की वजह से महिलाओं को ज्यादातर पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। साथ ही साथ वह जरूरत पड़ने पर परिवार को आर्थिक मदद भी करने लगी हैं। इस योजना की वजह से काफी गरीब परिवार की स्थिति में भी बदलाव आया है। महिला समूह योजना महिलाओं की ताकत बनने लगी है। आज हमारे आस पास की अधिकतर महिलाये इस योजना से जुड़ी हुई हैं और अपने दम पर कुछ कर पा रही हैं।




PHOTO: UN WOMEN ASIA AND PACIFIC



आशा भील

देवखेड़ा, अजमेर



आशा भील केकड़ी के पास देवखेड़ा गांव से हैं। आशा बारहवीं पास है और उन्होंने आगे कुछ नहीं किया है। महिला जन अधिकार समिति से आशा का जुड़ाव समिति द्वारा लड़कियों की उन्नति एवं विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम डिजिटल किशोरी बने सक्षम, से जुड़ी और समिति में कम्प्यूटर सीखने आती थी। वर्तमान में आशा ग्रासरूट्स पत्रकारिता कोर्स की छात्रा हैं और कोर्स में अपनी पूरी भागीदारी दे रही हैं। समिति से जुड़ने के बाद आशा में बहुत बदलाव आए हैं। पहले वह अपने घर से अकेले बाहर आने-जाने से, बड़ों से बात करने और उनके सामने अपनी बात रखने में डरती थी। वह घर में और घर के बाहर हर जगह गर्दन झुका कर रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आशा अपनी बात सभी के सामने बोल पाने में समर्थ है और घर से अकेले बाहर आने-जाने में भी घबराती नहीं हैं।

आशा का कहना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म से लड़कियों का जुड़ाव होना बहुत जरूरी है क्योंकि उन जैसे अनेक लड़कियां हैं जो कभी बाहर नहीं निकली हैं, अपने परिवार वालों से बात करने में घबराती हैं। वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती हैं, तो यदि ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ेगी तो उन्हें मौके मिलेंगे और वह आगे बढ़ेगी। चरखा द्वारा जो वर्कशॉप किया गया वह आशा को बहुत अच्छा लगा। उसमें उन्हें बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका मिला। वह लेखन के महत्व को समझ पायी।

छुआछूत का मुद्दा

आशा भील



PHOTO COURTESY: INDIA TODAY

यह हमारे आसपास बहुत सारे देखने को मिलते हैं। यह चीजें अधिकतर गांव में ज्यादा होती है जैसा कि जिस गांव में रहती हूं, वहां अधिकतर छुआछूत होती है। अगर हमारे गांव में पानी की एक टंकी है उसमें पानी एक या दो दिन में आता है। तो पहले दूसरी समाज वाले पानी भरते हैं फिर हमारा नंबर आता है। जैसे कि भील गुज्जर जाति रहती है। जब हम पानी भरने जाते हैं तो अगर हम पहले पानी भर लेते हैं तो वह लोग उस नल को मांजते हैं और बोलते हैं कि इनसे दूर रहना और इस मटके के पास मत आना। गांव में जब भी कोई समारोह होता तो हमें खाने पर बुलाते अवश्य हैं लेकिन बाहर बैठा कर खाना खिलाते हैं।

मेरा सभी से एक प्रश्न है कि क्या भगवान ने जाति अलग-अलग बनाई है? जबकि हमारे शरीर की बनावट और खून एक ही है। क्या हमें यह चीजें बुरी नहीं लगेंगी? क्यों जब हमें प्यास लगती है। तो हमें ऊंचे से पानी पिलाया जाता है? अगर हम उसके पास जाकर उसे छू लें तो क्या वह गंदा हो जाएगा? मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती हूं। मेरी नज़र में सभी मनुष्य समान हैं। मैं कोई भी समाज का हो, उन्हें एक समान मानती हूं। मैं चाहती हूं कि समाज की सोच में भी बदलाव आए और मैं इसके लिए प्रयास करना चाहती हूं। हम ऐसा गलत सोचते हैं कि अगर वह हम से नीची जाति का है तो वो हमें छू नहीं सकता है। पर मैं यह मानती हूं कि आखिर वह भी तो एक इंसान ही है।

ऐसी सोच किसी एक जगह की नहीं है। बल्कि ऐसी सोच वाले देश के अन्य जगहों पर भी हैं। हालांकि हम यह भूल जाते हैं कि हम सभी को जाना एक ही जगह पर है। इस संबंध में मैं एक घटना का ज़िक्र करना चाहूंगी। मेरी एक बहन थी, जो एक दिन बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई थी, जब हम उसे केकड़ी के बड़े अस्पताल लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उसे प्यास लगी। जिस जगह हमने गाड़ी रुकवाई वहां सासियो का घर था, वह इस क्षेत्र के सबसे निचली जाति है, तो हमने वहां पर उसे पानी पिलाया। तो गाड़ी वाले ने कहा यह तो निची जाति के लोग हैं। तो हमने कहा कि क्या हुआ अगर निची जाति के हैं? यह भी तो एक इंसान ही हैं। मेरा कहना है कि हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए। अगर जाति अलग है तो क्या हुआ? हैं तो हम सभी इंसान ही। हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करनी चाहिए।




PHOTO COURTESY : FIRSTPOST



दीपिका सोनी

अजमेर, राजस्थान



दीपिका सोनी अजमेर से हैं और बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। महिला जन अधिकार समिति द्वारा लड़कियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने और सशक्त बनाने के लिए टेक सेंटर चलाए जाते हैं। यहाँ कई लड़कियां कम्प्यूटर सीखने आती हैं। टेक सेंटर से उनका जुड़ाव अपनी सहेली के माध्यम से हुआ। वर्तमान में वह समिति द्वारा चलाए जा रहे ग्रासरूट्स पत्रकारिता कोर्स से जुड़ी हैं। समिति से जुड़ने के बाद यहाँ करवायी जाने वाली गतिविधियों में भाग लेने से दीपिका का आत्मविश्वास बढ़ा है और चीजों को देखने के नज़रिये में काफी बदलाव आया है।

दीपिका का कहना है लड़कियों को ऐसे प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि गांव में लड़कियों को बिलकुल कहीं भी अकेले जाने आने नहीं दिया जाता है। यदि स्कूल पूरे होने के बाद उन्हें आगे पढ़ना हो तो उन्हें बाहर नहीं भेजा जाता है और उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। जिससे वह पीछे रह जाती हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे तो लड़कियां आगे बढ़ पाएंगी। चरखा द्वारा करवायी गई वर्कशॉप से दीपिका का अनुभव रहा है कि सामाजिक मुद्दों के प्रति उनकी समझ बन पायी है। उन्होंने जाना कि लेखन कर के किसी भी आयु में समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। लेखन के लिए पद की आवश्यकता नहीं केवल हमारी रुचि लेखन के लिए आवश्यक है।

लॉकडाउन के समय महावारी आने पर लड़कियों को हुई समस्या

दीपिका सोनी



PHOTO COURTESY: YOURSTORY

देश में कोविड 19 आने के कारण दो बार लॉकडाउन लगाना पड़ा क्योंकि पहला लॉकडाउन 3 महीने का वह दूसरा लॉकडाउन 2 महीने का लगा जिसके कारण ग्रामीण इलाके में रहने वाली महिलाओं व लड़कियों को महावारी आने के समय काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस दौरान पैड न उपलब्ध होने के कारण उन्हें कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ गया क्योंकि सभी दुकानें एवं मेडिकल स्टोर तक बंद थे। लॉकडाउन के कारण तथा गांव का शहरी क्षेत्र से काफी दूर होने के कारण वह शहर नहीं जा पाती थी, ऐसे में उन्हें घर में ही कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता था।

सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल में आंगनबाड़ी में लड़कियों को पैड देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है लेकिन लॉकडाउन में यह सुविधा उन तक नहीं पहुंची थी। जब गांव की लड़कियों से बात की गई तब उन्होंने बताया कि उन्हें कपड़ा इस्तेमाल करने में काफी परेशानी हुई साथ में ही सब लॉकडाउन में उनके घर में सभी पापा एवं भाई घर पर थे, तब महावारी का कपड़ा सुखाने में भी समस्या हो रही थी क्योंकि बाहर कपड़ा नहीं सुखा पाती थी। जब लड़कियों को पैड नहीं मिल रहे थे तब आंगनबाड़ी व सरकारी स्कूलों की महिलाओं को लड़कियों के घर जाकर उन्हें पैड देने चाहिए थे ताकि उन्हें किसी भी तरह की समस्या ना हो।

इस संबंध में गांव की एक लड़की शिवानी ने बताया कि माहवारी के समय उन्होंने कभी कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया था लेकिन उन्हें कपड़े का इस्तेमाल लॉकडाउन के समय करना पड़ा था जिसके कारण उन्हें काफी समस्या हुई। जैसे कि कपड़े खराब हो जाना, कपड़ा नहीं सुख पाने के कारण इंफेक्शन हो जाना आदि। यही कहानी और भी लड़कियों की है जिन्हें पैड नहीं मिलने के कारण ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब भारत सरकार ने लॉकडाउन के बाद नई रणनीति बनाई है कि महामारी स्वच्छता की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

28 मई को महावारी दिवस मनाया जाता है जिसमें लड़कियों व महिलाओं को मासिक धर्म में सुरक्षित व स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक बातें बताई जाती हैं। कोविड 19 के कारण सेनेटरी पैड हर जगह उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। तब अप्रैल 2020 में मेंस्ट्रुअल हेल्थ अलायन्स ने एक सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण में 45 संगठन शामिल थे जो कि पूरे भारत में सेनेटरी पैड का निर्माण व वितरण करते हैं व साथ ही समुदायों में महावारी स्वच्छता को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। इस सर्वेक्षण में संगठनों ने बताया कि जिन समुदायों में वह काम करते हैं वहां महावारी के समय सेनेटरी पैड की या तो कमी आई है या बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हुए हैं।



PHOTO: GIVEINDIA/GOONJ



दीक्षा जैलिया

अजमेर, राजस्थान



दीक्षा जैलिया अजमेर से हैं। वह अभी आर्ट्स विषय से बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत है। महिला जन अधिकार समिति द्वारा लड़कियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने और सशक्त बनाने के लिए टेक सेंटर चलाए जाते हैं। यहाँ कई लड़कियां कम्प्यूटर सीखने आती हैं। टेक सेंटर से दीक्षा का जुड़ाव अपनी बहन के जरिये कम्प्यूटर सीखने के लिए हुआ। समिति से जुड़ने के बाद उनमें ये बदलाव आए कि वह अकेले घर से बाहर आ जा सकती हैं, अपनी बातों को दूसरों के सामने रख पाने में सक्षम हुई हैं। दीक्षा का मानना है कि ऐसे प्लेटफोर्म से लड़कियों का जुड़ाव होना आवश्यक है। ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे और उनसे लड़कियां जुड़ेगी तो वह अपनी बातें और अपने अधिकारों के लिए बोलना सीखेंगी। वह अपने लिए जागरूक हो पाएगी और आवाज उठाने में सक्षम हो सकेगी। वर्तमान में दीक्षा ग्रासरूट्स पत्रकारिता कोर्स की छात्रा हैं और ग्रामीण स्तर पर लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को कम करने के लिए कोर्स में अपनी पूरी भागीदारी निभा रही हैं।

हाल ही में चरखा द्वारा जो वर्कशॉप करवाया गया उसमें दीक्षा का अनुभव रहा कि ऐसे वर्कशॉप करवाने से लड़कियां जागरूक होंगी और उनका अनुभव बढ़ेगा कि इस प्रकार लिख कर भी अपनी बातें सभी के सामने रखी जा सकती हैं और बदलाव लाया जा सकता है।

महिला शिक्षा

दीक्षा जैलिया



PICTURE COURTESY: UNICEF

शिक्षा से अभिप्राय है जागरूकता। शिक्षा से मनुष्य में अपने, अपने देश और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आती है। वह सचेत होता है, समझदार बनता है। वहीं इसके अभाव में वह विचारहीन हो जाता है। महिला शिक्षा कुछ समय पहले महिलाओं को शिक्षित करना तो दूर कोई इसके बारे में सोचता तक नहीं था। महिला को बस घर का काम करने तक सीमित रखा जाता था, न कोई इसके बारे में सोचता था और न ही कभी किसी ने गंभीरता से इसके बारे में कोई प्रयास किया। परंतु जैसे-जैसे समय बदलता गया, इस धारणा में भी परिवर्तन आया है। वर्तमान में महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है।

आज प्रायः सभी क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के समान हैं। आज महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है जिससे उनमें जागरूकता आई है। लगभग एक शताब्दी से पहले तक के समय में महिला शिक्षा का कोई प्रचलन नहीं था। परंतु समय में बदलाव के साथ कुछ लोग विद्वान तथा विभिन्न प्रकार की संस्थाओं ने महिला शिक्षा के लिए प्रयास किए। उस समय जब राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि विभिन्न प्रकार के लोगों ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया तब उन लोगों को बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था। परंतु उनके अथक प्रयासों से इस अवस्था में परिवर्तन आया।

वह इस कार्य में सफल हुए। इन लोगों ने स्त्री शिक्षा को बहुत अधिक समर्थन दिया साथ ही इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए। लोगों को जागरूक किया और जागरूकता अभियान भी चलाया।

वास्तव में महिला शिक्षा वर्तमान समय की आवश्यकता है। महिला शिक्षा के लिए वर्तमान में हर क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना परचम लहराया है। उनके अधिकारों के लिए काम किए जा रहे हैं जो उनके लिए खुशी की बात है। वर्तमान में महिलाएं शिक्षित हैं जिससे उनके अधिकारों की सुरक्षा हुई है साथ ही उनको सम्मान भी प्रदान किया जा रहा है। आज वर्तमान में खेल, चिकित्सा, शिक्षा, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील हर प्रकार के क्षेत्र में महिलाओं ने अपने महत्वपूर्ण प्रयासों से खुद को साबित किया है। वर्तमान में महिलाएं देश के उच्च स्थानों पर कार्यरत हैं।

वैसे तो हर क्षेत्र में महिलाओं के सम्मान, उनकी शिक्षा और अधिकारों की बात की जाती है। उनके आगे बढ़ने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं उनकी मदद की जा रही है। परंतु फिर भी आज कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर महिला शिक्षा के बारे में लोगों को कम पता है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण अशिक्षा है क्योंकि वह लोग महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहते हैं।

उन लोगों को अपने अंदर जागरूकता लाने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं को किसी से कम नहीं आंका जाना चाहिए क्योंकि जब हर महिला को शिक्षित किया जाएगा तो हमारा राष्ट्र एक शिक्षित व एक संपूर्ण समृद्धि शक्तिशाली राष्ट्र के रूप अग्रसर होगा।



PICTURE COURTESY - INDIASPEND.COM



डिम्पल राठौड़
अजमेर, राजस्थान



डिम्पल राठौड़ अजमेर की रहने वाली है और बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा है। महिला जन अधिकार समिति से इनका जुड़ाव समिति द्वारा चलाए जा रहे हैं डिजिटल किशोरी बने सक्षम, प्रोग्राम के जरिए हुआ। समिति से जुड़ने के बाद इनका नजरिया बदला और आत्मविश्वास बढ़ा। सामाजिक मुद्दों पर इनकी समझ बढ़ी और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई। इनकी रुचि धीरे धीरे ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ने लगी और यह भी लड़कियों के लिए ऐसे कार्यक्रमों में अपना योगदान देना चाहती थी। इसलिए वर्तमान समय में यह संस्था के अजमेर टेक सेंटर में कंप्यूटर फैसिलिटेटर के तौर पर कार्य करती हैं और अधिक से अधिक लड़कियों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करती हैं। इसी के साथ यह समिति द्वारा चलाए जा रहे पत्रकारिता कोर्स का भी हिस्सा हैं। डिम्पल की सोच है कि महिला जन अधिकार समिति जैसे प्लेटफार्म से लड़कियों का जुड़ाव होना जरूरी है क्योंकि ऐसे प्लेटफार्म की मदद से लड़कियां अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी और अपने हक के लिए स्वयं आवाज उठाएगी।

चरखा संस्था द्वारा ली गई वर्कशॉप में इनका अनुभव बहुत ही रोचक रहा। इन्होंने जाना कि लिखने से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। समाज में फैली कुरीतियों को लेखन के जरिए सभी के सामने ला सकते हैं और इन कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं।

मानवीय जीवन में अभिन्न अंग समलैंगिक यौनिकता

डिम्पल राठौड़



PHOTO: SIDDHI SOI/LBB

समलैंगिकता किसी भी व्यक्ति में जन्म से नहीं होती बल्कि वह बचपन से किशोरावस्था तक व्यक्ति में खुद के अनुभवों, विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं, व्यवहारों, तौर-तरीके और भूमिकाओं से अभिव्यक्त की जाती है। जिसे फिर उसकी आदत का हिस्सा मान लिया जाता है। इस तरह यह नादानी में अपना लिए जाने वाली वैकल्पिक यौनिकता है, जो आगे चल कर व्यक्ति की यौनिक पहचान बनती है। जिसे चिकित्सकीय दृष्टि से प्राकृतिक या नैसर्गिक माना जाता है। परन्तु फिर भी हमारा समाज समलैंगिक यौनिकता को एक बहुत ग़लत नज़र से देखता और व्यक्त करता है जो कि एक बहुत ही ग़लत धारणा है क्योंकि समलैंगिक यौनिकता भी एक सामान्य व्यक्ति की भावनाओं की तरह ही कार्य करती है।

जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने से विपरीत लिंग वाले मनुष्य के लिए भावनाएँ रखता है तथा अपने से विपरीत लिंग वाले मनुष्य की तरफ आकर्षित होता है ठीक उसी प्रकार एक समलैंगिक मानसिकता वाले मनुष्य अपने समान लिंग वाले मनुष्य की तरफ आकर्षित होते हैं तथा उनके लिए यौन भावना रखते हैं। जो कि सामान्य मनुष्यों में पैदा होने वाली भावनाओं की तरह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे ग़लत न मानकर उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए तथा उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। वह भी हमारे समाज के सामान्य मनुष्य की तरह हैं।

उन्हें भी एक सामान्य जीवन जीने का हक है। किंतु हमारे समाज में इनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। इनके साथ भेदभाव किए जाते हैं। इन्हें नीचा दिखाया जाता है। इनका मज़ाक बनाया जाता है तथा कुछ असामाजिक तत्व तो ऐसे भी होते हैं जो इनका जीना दुश्वार कर देते हैं। इन्हें यूँ व्यक्त किया जाता है जैसे इन्होंने कोई गुनाह किया हो जबकि यह तो एक सामान्य सी भावना है जो हर व्यक्ति में पायी जाती है। यह भी एक सामान्य की भाँति यौन भावना है किंतु हमारा समाज इसको स्वीकार नहीं करता है और उन्हें ग़लत बना दिया जाता है।

यहाँ यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि समलैंगिकता और सामान्य जेंडर व्यवहारों के अनुरूप रुझान न रखे जाने को जिस तरह से भारत में कानूनी अपराध और निंदनीय माना जाता है, वह भारत में विक्टोरिया शासन की देन है। इससे पहले के हिन्दू, बौद्ध, जैन और मुस्लिम शासकों के समय भारत में समलैंगिकों के प्रति कहीं अधिक सहनशीलता देखने को मिलती थी। न केवल लिखित पुस्तकों में बल्कि भारत की प्रथाओं में भी अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जिनसे पता चलता है कि भारत में ऐतिहासिक रूप से विविध यौनिक रुझानों और जेंडर पहचानों को स्वीकार किया जाता था।

लेकिन आज भारत के कानूनों और नीतियों में एक विषमलैंगिक परिवार और समाज की व्यवस्था को इस कदर स्वीकार किया जाता है कि इस व्यवस्था में समलैंगिक संबंध छिपे रह जाते हैं और गैर कानूनी बन गए हैं।



PHOTO: TIMESOFINDIA



Photo: nytimes

भले ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2014 और फिर 2018 में यह मान लिया था कि भारत में भी कानूनों में वही अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू किए जाने की ज़रूरत है जिन पर भारत पहले हस्ताक्षर कर चुका है। समलैंगिक संबंधों को अपराध माने जाने से एलजीबीटी लोगों के लिए न केवल खुल कर अपनी यौनिक पहचान प्रकट कर पाना कठिन हो जाता है बल्कि इसके कारण उन्हें भेदभाव कलंक और डर के माहौल का सामना करना पड़ता है जिससे उनके आत्मसम्मान और आदर को तो ठेस पहुँचती ही है, उनकी भलाई पर भी उल्टा या गलत प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत में गे, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर लोगों समलैंगिक यौनिकता रखने वालों ने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के पक्ष में अपनी आवाज़ तेज़ी से बुलंद करनी शुरू की है। हमें बुराई गलत तरह के हीनता वाले व्यवहार उनके लिए ना रख कर उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और उनको भी सबके भाँति समान रखा जाना चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों से भारत में गे, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर लोगों समलैंगिक यौनिकता रखने वालों ने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के पक्ष में अपनी आवाज़ तेज़ी से बुलंद करनी शुरू की है। हमें बुराई गलत तरह के हीनता वाले व्यवहार उनके लिए ना रख कर उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और उनको भी सबके भाँति समान रखा जाना चाहिए।

हमें समाज में जागरूकता लाने हेतु कदम उठाने चाहिए लोगों को समझाना चाहिए। इसके लिए सभी से बातचीत की जानी चाहिए तथा सरकार को भी इसके लिए योजनाएं बनाकर इन्हें सामान्य लोगों जितना सम्मान देकर इनके लिए सशक्त कदम उठाने चाहिए ताकि यह भी सिर उठाकर सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें और अपनी इस भावना के लिए इन्हें बार.बार लज्जित ना होना पड़े। कई नीतियाँ और कई कानून होने चाहिए जो इन्हें इनके अधिकार दिला सके। क्योंकि इनके अंदर यह भावनाएं होना गलत नहीं है। इस तरह के सभी मुद्दों पर अपनी समझ बनाना न केवल हमारी, बल्कि समय की माँग है। ***



कोमल कंवर

संकरिया, अजमेर



कोमल कंवर साकरिया केकड़ी की रहने वाली है और 12वीं कक्षा की छात्रा है। महिला जन अधिकार समिति ने लड़कियों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए कई गांवों में फुटबॉल गेम शुरू किया है। जहां पर कई लड़कियां फुटबॉल खेलने आती हैं। वहीं पर कोमल भी फुटबॉल खेलने जाती है। समिति से जुड़ने के बाद इनका नजरिया बदला है। अपनी बातों को यह बुलंद आवाज में सभी के सामने रखने लगी हैं। इन्होंने समिति से जुड़ने के बाद यह ठान लिया कि वह अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ेगी। इनकी भी जिंदगी है। वह समाज के हाथ की कठपुतली नहीं बनेगी। वर्तमान समय में कोमल महिला जन अधिकार समिति द्वारा चलाए जा रहे पत्रकारिता कोर्स का भी हिस्सा है। कोमल के अनुसार महिला जन अधिकार समिति और चरखा जैसे प्लेटफार्म से लड़कियों का जुड़ाव होना चाहिए क्योंकि ऐसे संस्थान महिलाओं के हितों के लिए कार्य करते हैं और पूरी कोशिश करती है कि लड़कियों को उनके सारे अधिकार मिले।

चरखा संस्था द्वारा ली गई वर्कशॉप से इन्होंने जाना कि हम ग्रामीण जगहों पर लोगों से किस तरह से इंटरव्यू ले सकते हैं। साथ ही हमें लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जिस जगह पर जा रहे हैं उसी जगह के हिसाब से हमारा पहनावा होना चाहिए।

बाल विवाह का दंश

कोमल कंवर



PICTURE COURTESY:STEPHANIE SINCLAIR STUDIO


मेरा गांव अजमेर जिला से 60 किलोमीटर दूर है। मैं आज स्वयं के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं इस दुनिया में नाजो सी कली भी नहीं खिली थी तब ही मेरी शादी तय कर दी गई थी। जिसे मैं जानती भी नहीं थी उस के साथ मेरा भविष्य जोड़ दिया गया था। जानना तो बहुत दूर की बात है। उस समय मेरा इस दुनिया में दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे ये पता चला कि मेरी शादी तय कर दी थी तो मुझे बहुत दुःख हुआ कि मेरी तो अभी खेलने कूदने की उम्र में मुझे सुसराल जाना पड़ेगा। मैं पढ़ना लिखना चाहती थी, न कि सुसराल जाना। फिर मैंने पूरा पता लगाया कि किस बजह से मेरी शादी तय कर दी गई थी? मैंने मम्मी से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जिसे मैं जानती नहीं थी उसके साथ मेरी शादी क्यों की जा रही है?

फिर मेरी मम्मी बोली कि बेटा तेरे पापा और तेरे ससुरजी बचपन के दोस्त हैं। जब मेरी शादी हुई थी और मैं ससुराल आती थी तब भी तेरे पापा पढ़ने जाते थे। एक दिन तेरे पापा को तेरे ससुरजी बोले कि मुझे तेरे को एक बात बोलनी है। अगर तेरे घर लड़की हुई तो तुम मेरे लड़के के साथ उसकी शादी करवाओगे, तो तेरे पापा इसे हंसी मजाक समझ रहे थे और उन्होंने हाँ कर दी। फिर इस बात को कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते। समय बीतने के साथ तेरे पापा इस बात को भूल गये। लेकिन तेरे ससुरजी को यह बात याद थी। कुछ साल बाद तुम्हारा जन्म हुआ तो तेरे पापा के दोस्त हमारे घर आये और तेरे पापा को वह वादा याद दिलाया। तेरे पापा को याद नहीं थी तो मना कर दिया था। तेरे पापा को बोले कि हम जब पढ़ने जाते थे, तब मैंने बोला था।

तेरे पापा बोले कि वो एक मजाक था। ऐसे कैसे तेरे लड़के से कर दूँ? तो तेरे ससुरजी बोले कि कुछ भी हो तुझे करनी होगी, तुम ने वचन दिया था। मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम वचन नहीं तोड़ोगे। फिर तेरे पापा को शादी तय करनी पड़ी।

मुझे यह सब सुन कर बहुत दुःख हुआ कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ कर सुसराल जाना होगा। पर मेरी मम्मी बोली कि तुझे पढ़ने लिखने की पूरी छूट है। पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। परंतु मेरी जेठानी को आधी पढ़ाई छोड़ कर सुसराल आना पड़ा तो मेरी जेठानी हिम्मत कर के ससुरजी को बोली कि मुझे मेरी आगे की पढ़ाई करनी है तो ससुर जी ने मना नहीं करा। मेरी जेठानी अभी ससुराल से पढ़ाई कर रही हैं तो मुझे विश्वास हो गया कि मैं मेरी पढ़ाई कर सकती हूँ।

मैं सभी के माता पिता से यही कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा वचन किसी को मत देना जो आप पूरा ना कर सकते हो।



PICTURE COURTESY:STEPHANIE SINCLAIR STUDIO



कुशल सिंह राजपुरोहित
अजमेर, राजस्थान



23 वर्षीय कुशल सिंह राजपुरोहित एमकॉम फाइनल ईयर की छात्रा है और अजमेर में रहती हैं। 2017 में महिला जन अधिकार समिति की कार्यकर्ता सोनिया जी के जरिये कुशल कंप्यूटर सेंटर से जुड़ी। संस्था से जुड़ने के बाद कुशल को अपनी बात को लोगों के साथ साझा करना, स्वयं के लिए निर्णय लेने की ताकत मिली और तकनीकी शिक्षा से जुड़ाव बना। कुशल का मानना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म का गाँव की लड़कियों के साथ जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, इससे वह अपने स्तर की समस्याओं को आसानी से सामने ला सकती है। ज्यादातर लड़कियां अपनी बात घर पर साझा नहीं कर पाती है। उनके लिए संस्था एक खुला मंच होता है क्योंकि संस्था उनकी बातों को गोपनीय रखती है और अपने स्तर पर समस्याओं का हल निकलती है।

चरखा द्वारा जो वर्कशॉप करवाया गया उससे कुशल की लेखनी पर अच्छा प्रभाव पड़ा। आलेख, समाचार, मुद्दे और ग्रामीण पत्रकारिता पर अधिक समझ बनी और ज्ञान में वृद्धि हुई। चरखा की वर्कशॉप में बताई गई हर बिंदु को कुशल अपने लिए बहुत उपयोगी मानती है।

देश में समानता की बातों के बीच झलकता जातिवाद

कुशल सिंह राजपुरोहित



IMAGE SOURCE: HUMANISTS INTERNATIONAL

जातिवाद शब्द को बनाने वाले हम स्वयं ही हैं। हमने खुद से इस शब्द की रचना की है और सम्पूर्ण क्षेत्र में इसे प्रसारित किया जाता है। जातिवाद अर्थात किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति को लेकर अंतर। रास्ते में चलते हुए यदि किसी भारतीय से उसकी जाति पूछ ली जाए तो उसके लिए ये बिल्कुल भी अचरज का विषय नहीं होगा, क्योंकि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में चाहे मात्र कुछ घंटों का संवाद बनाना हो या जिन्दगी भर के लिए निभाने वाला कोई रिश्ता, सिर्फ जाति का मुद्दा ही है जो दो लोगों को जोड़ता है। इसलिए शायद जातिवाद पर बात करना आवश्यक हो गया है। इसकी परिभाषा भी कोई सीमित नहीं है।

जातिवाद दो शब्दों से मिलकर बना है 'जाति' का अर्थ है वो समुदाय जो आपस में आर्थिक और सामाजिक सम्बन्धों से जुड़ा हुआ हो और 'वाद' का मतलब कोई व्यवस्थित मत या सिद्धांत जिसकी अधिकता कब हो जाती है पता नहीं चलता। ऐसे में जातिवाद से मिलकर बना यह जातिवाद शब्द किसी एक समुदाय को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है और अब राजनीति में इसका उपयोग बहुत किया जाता है। जिसमें जाति का किसी व्यक्ति के पूर्वजों से कोई सम्बन्ध नहीं होता था जैसे यदि क्षत्रिय के बच्चे को वैश्य के काम में रूचि है तो बच्चे को वैश्य कहा जाता था।

लेकिन समय के साथ इस प्रणाली में सब बदलता गया और जाति का निर्धारण आनुवंशिक रूप से होने लगा जैसे क्षत्रिय के बच्चे क्षत्रिय ही कहलाये जायेंगे। इसी तरह से अन्य वर्णों के भी बच्चे अपने पिता की जाति और उसके कामों का अनुसरण करेंगे।

जातिवाद के कारण समाज का दो हिस्सों में बंटना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव तब निश्चित होने लगाए जब इन दो वर्गों में से एक को शक्ति हासिल होती गई, वहीं दूसरे वर्ग पर शोषण का प्रभाव बढ़ने लगा। इस कारण जहाँ एक जाति उन्नत और समृद्ध होती गयी वहीं दूसरी जाति का पतन होने लगा और विकास के सभी मार्ग बंद होने लगे। जातिवाद के परिणाम असमानता और अन्याय आधारित हैं। जातिवाद को प्रणाली का हिस्सा कहना गलत होगा वास्तव में ये समाज को निगल रहा है। अभी के समय में भारत की हर जाति के समाज में द्वेष की संभावना प्रबल हैं, जिसमें एक जाति द्वारा दूसरी जाति को अपमानित करना या सम्मान की दृष्टि से ना देखना और इस कारण दोनों ही समाजों में दूरियों को देखा जाना बहुत ही आम विषय है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि जातिवाद व्यक्ति का अपनी जाति के प्रति एक तरफा समर्पण का वो भाव है जो कि उससे कोई भी बलिदान ले सकता है।

जातिवाद को मिटाने के लिए डॉ भीमराव अम्बेडकर ने अपने सम्पूर्ण प्रयास किए।

वह अपने प्रयासों में इतने सफल रहे कि निम्न वर्ग के लोगों के लिए कई सेवाएं आज मुफ्त में उपलब्ध हैं। साथ ही जातिवाद को कम करने के लिए और निम्न वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें आरक्षण भी प्राप्त करवाया। लेकिन फिर भी सम्मान की दृष्टि से कई जगह निम्न वर्ग को अपमानित होना पड़ता है। जाति को लेकर अनेक प्रकार के ताने सुनने पड़ते हैं। उन्हें सम्पूर्ण सम्मान प्राप्त नहीं होता।

हम से छोटे और बड़े दोनों ही व्यक्ति सदैव सम्मान के पात्र ही होते हैं भले वह किसी भी जाति या समुदाय से हो। इसके अलावा सम्मान प्राप्त करने का केंद्र ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान हो वह सम्मान का पात्र होता है। सम्पत्ति और जाति सम्मान नहीं दे सकते हैं। जब हम सभी का सम्मान करेंगे तभी सब हमारा सम्मान करेंगे हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सरकार को जातिवाद खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और राजनीति जैसे मुद्दों में जाति को एक तरह का मूल विषय ना बना कर लोगों की पुरानी चली आ रही धारणा को कम और खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त है उनका पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए और उनके प्रति किसी भी तरह की हीन भावना नहीं रखनी चाहिए।



लक्ष्मी कुमारी रेगर

मीणो का नया गांव
अजमेर, राजस्थान



लक्ष्मी कुमारी रेगर मीणों के नया गांव की रहने वाली है और B.SC प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। महिला जन अधिकार समिति से इनका जुड़ाव फुटबॉल के जरिए हुआ। इस संस्था से जुड़ने के बाद इनका आत्मविश्वास बढ़ गया और यह अपनी बात सभी के सामने खुल कर रखने लगी हैं। महिला जन अधिकार समिति बाल-विवाह जैसी कई सामाजिक कुरीतियों पर लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक भी करती है जिसमे यह भी भाग लेती हैं।

वर्तमान समय में यह महिला जन अधिकार समिति द्वारा चलाए जा रहे पत्रकारिता कोर्स का भी हिस्सा हैं। इस तरह की संस्थाओं का ग्रामीण लड़कियों से जुड़ाव होना जरूरी है ताकि लड़कियां अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो अपनी और लड़ाई स्वयं लड़ सके। चरखा द्वारा ली गई वर्कशॉप से कई नई और रोचक जानकारियां मिली। लेखन के जरिए हम अपने गांव के मुद्दों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं।

खोखले समाज में पर्दा प्रथा नहीं हुई कम, महिलाओं को उठानी पड़ती है परेशानियां

लक्ष्मी रेगर



IMAGE SOURCE: SHETHEPEOPLE

महिलाओं के लिए सभी बोलते हैं कि देश बदल रहा है। लेकिन अभी भी रूढ़िवादी परंपराएं इतनी हैं कि वह कम नहीं हुई है। जैसे पर्दा प्रथा हमारे देश में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। गांवों में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती हैं। यह बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। जिसकी वजह से महिलाएं बोल नहीं पाती हैं। महिलाओं को आदमियों के सामने सिर झुकाकर चलना पड़ता है। अगर घूंघट नहीं निकालती हैं तो सभी आदमी और समाज उनको बेशर्म बोलते हैं कि यह औरत कितनी बेशर्म है जो घूंघट नहीं निकालती है, वह बड़ों की इज्जत नहीं करती है। महिलाएं कुछ बड़े पदों पर जैसे सरपंच, वार्डपंच कुछ बन भी जाती हैं तो भी उनको घूंघट निकालना पड़ता है।

वह घूंघट नहीं निकालती हैं तो समाज के लोग कुछ भी ग़लत बोलते हैं। घूंघट निकालने की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाती है। जिसकी वजह से उसका काम उसका पति करता है। वह औरत तो सिर्फ नाम की रह जाती है और काम सभी पति संभालता है।

औरत अगर घूंघट नहीं निकालेगी तो वह अपने लिए आवाज उठा सकती हैं। इसलिए इस पर्दा प्रथा को हटाना बहुत जरूरी हो गया है। वास्तव में नज़र आदमियों की खराब होती है लेकिन घूंघट औरतों को निकालना पड़ता है। घूंघट निकालने में औरतों को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं।

लड़कियों को अपने मम्मी पापा की इज्जत के लिए भी घूंघट निकालना पड़ता है। अगर घूंघट नहीं निकालती है तो ससुराल वाले बोलते हैं कि इसके मम्मी पापा ने कुछ भी संस्कार नहीं दिए हैं इसे। हर बार लड़की को ही क्यों कमजोर माना जाता है? क्या यह पुरुषों के बराबर काम नहीं कर सकती हैं? लड़कियों की बात कोई नहीं सुनता है। वह कुछ भी बोले कोई ध्यान नहीं देता है। सभी को मिलकर इस प्रथा को खत्म करना चाहिए। जिससे हर लड़की बोल सके, अपनी आवाज उठा सके और बहुएं भी ससुराल में खुलकर जी सके और अपना सपना पूरा करे। किसी पर निर्भर नहीं रहे। नारी शक्ति जिंदाबाद।



IMAGE SOURCE:SHETHEPEOPLE



लीला गुर्जर
बीरवाड़ा, अजमेर



लीला गुर्जर केकड़ी के पास बीरवाड़ा गांव से हैं। वह अभी बी.ए. द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। महिला जन अधिकार समिति के किशोरी समूह जिसमें लीला सदस्य बनी हुई थी, के द्वारा समिति से जुड़ी। समिति से वह इसलिए जुड़ी क्योंकि यहाँ पर लड़कियों के किशोरी समूह बनाए जाते हैं और उन समूह में लड़कियां अपने सवाल समिति के सदस्यों से पूछ सकती है। इससे उनकी जानकारी बढ़ती है और वह नई चीज़ें सीखती हैं। वर्तमान में वह समिति द्वारा चलाए जा रहे ग्रासरूट्स पत्रकारिता कोर्स से जुड़ी हैं। समिति से जुड़ने के बाद वह अपने बारे में अच्छे से जान पायी हैं। सही गलत में फर्क करना, लोगो के सामने अपने हक के लिए बोलना सीखा है। लीला का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म से लड़कियों का जुड़ाव होना जरूरी है क्योंकि लड़कियों को हमेशा पीछे रखा जाता है उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है। आधी अधूरी पढ़ाई करवा कर उन्हें घरों में ही रोक लिया जाता है और लड़कियों को यह मानना पड़ता है क्योंकि घर में वो किसी को कुछ बोल नहीं सकती हैं, न अपने मन की बात किसी को बता पाती हैं। यदि वह पढ़ना चाहे भी तो कुछ कर नहीं पाती है और उनकी बातें दबी रह जाती है। इसलिए लड़कियां ऐसे किसी प्लेटफोर्म से जुड़ती हैं तो उन्हें अपने लिए मदद मिलेगी और वह आगे कुछ कर सकेंगी।

चरखा द्वारा करवाई गई वर्कशॉप में लीला का अनुभव रहा कि जिन मुद्दों पर बात नहीं की जा सकती ऐसे मुद्दों पर लिखकर जागरूकता फैलाई जा सकती है। लेखन समाज को सही दिशा और उन्नति की ओर ले जा सकता है।

लॉकडाउन अर्थात् तालाबंदी

लीला गुर्जर



PHOTO: PTI

लॉकडाउन अर्थात् तालाबंदी। इसके तहत सभी को अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है। जिसका सरकार की तरफ से कड़ाई से पालन भी करवाया जा रहा है। यह इसलिये जरूरी है क्योंकि कोरोना वायरस नामक महामारी मानव जाति के इतिहास में पहली बार आई है। अब पूरा देश इस वायरस से लड़ने के लिए अपने अपने घरों में कैद हो गया है। इस महामारी के प्रकोप से लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी। यह संक्रमण एक से दूसरे इंसान तक बहुत तेजी से फैलता है, जिसके कारण भारत सरकार ने लॉकडाउन को इससे बचने के लिए आवश्यक रखा है।

लॉकडाउन के फायदे - लॉकडाउन से पहले के समय की बात करें तो उस वक़्त हम सभी अपने रोजमर्रा के कामों में इतना व्यस्त रहते थे कि अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए व बच्चों के लिए कभी समय ही नहीं निकाल पाते थे और सभी की सिर्फ यही शिकायत रहती थी कि आज की दिनचर्या को देखते हुए समय किसके पास है? लेकिन लॉकडाउन से ये सारी शिकायतें खत्म हो गयी हैं। इस दौरान अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए लोगों को बेहतरीन पल मिले है। कई प्यारी प्यारी यादें इस दौरान लोग सहेज रहे हैं। अपने घर के बुजुर्गों के साथ समय बिता रहे हैं और रिश्तों में आई कड़वाहट मिटा रहे है।

लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण में भी कमी हुई है क्योंकि पहले कारखानों से निकले कचरे को जल में प्रवाहित कर दिया जाता था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मजदूरी को बहुत नुकसान हुआ है, जो रोजमर्रा के काम से अपने घर का पेट पालते थे। आज उनके लिए एक वक़्त की रोटी भी मुश्किल हो गयी। व्यापारियों का काम भी पड़ा का पड़ा रह गया। दिन रात घरों में रहने से लोग परेशान होने लग गए और बच्चे भी।

कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए, इस संक्रमण से मुक्ति के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, क्योंकि सामाजिक दूरी ही कोरोना को रोकने के लिए कारगर उपाय है। इसलिये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस निर्णय का पूरा समर्थन करते हुए लॉकडाउन का पूरा पालन करें और इस वायरस को जड़ से मिटा दें।



PHOTO: EAST ASIA FORUM



मैना बैरवा
सवाईपुरा, अजमेर



मैना बैरवा सवाईपुरा केकड़ी की रहने वाली है और 12वीं पास हैं। महिला जन अधिकार समिति से इनका जुड़ाव बाल समूहों के जरिए हुआ। समिति से जुड़ने के बाद इनका नजरिया बदला, आत्मविश्वास बढ़ा और अपनी बात को बेझिझक होकर लोगों के सामने रखती हैं। वर्तमान समय में यह महिला जन अधिकार समिति द्वारा चलाए जा रहे पत्रकारिता कोर्स का हिस्सा भी है। इसी के साथ यह चरखा की कार्यशाला का भी हिस्सा रह चुकी हैं। इस कार्यशाला से इन्होंने बहुत से नई जानकारियाँ सीखी। मैना के अनुसार महिला जन अधिकार समिति और चरखा जैसे प्लेटफार्म से लड़कियों का जुड़ाव होना जरूरी है ताकि वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और अपनी ज़िन्दगी के फैसले खुद ले सके।

छोटी सी उम्र में विवाह

मैना बैरवा

मेरा नाम मैना है। मैं अजमेर जिले के छोटे से गाँव सवाईपुरा की रहने वाली हूँ। मैं 18 साल की हूँ। मैं अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहती हूँ। जो मेरे लिए सही नहीं है। मेरी शादी जब करवा दी गई थी, उस समय मेरी उम्र मात्र 6 साल थी। शादी का मतलब नहीं जानती थी फिर भी खुश थी क्योंकि बहुत सारे नए कपड़े व मिठाईयाँ जो खाने को मिल रही थी। बहुत पैसे आ रहे थे। अक्सर मेरे साथ ही नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है। ज्यादातर बाल विवाह इसलिए करवाते हैं कि कम खर्च में ही बड़ी बहन के साथ छोटी बहन की भी शादी हो जाये। गांव वाले भी बोलते हैं कि लड़कियों की शादी साथ में ही करवा दो खर्चा कम होगा। बहुत लोगों को केवल खर्चा दिखता है।

कहीं लोगों की यह भी सोच होती है कि अगर शादी नहीं करवाएंगे तो लड़की किसी के साथ भाग जाएगी। किसी के साथ संबंध बना लेगी। इस सोच से उनकी पढ़ाई भी रोक दी जाती है। खेलने की उम्र में शादी और पढ़ने की उम्र में ससुराल भेज दिया जाता है। शादी में उनकी सहमति नहीं ली जाती जो आगे जाकर उनके लिए जिंदगी बर्बाद हो जाती है।

ससुराल जाने से छोटी उम्र में माँ बन जाती है, जिससे उसको और उसके बच्चे के स्वास्थ्य को खतरा रहता है। वो एकदम कमजोर हो जाती है क्योंकि अभी उसकी माँ बनने की उम्र नहीं है। उसके साथ मारपीट भी होती है। खुद की बीवी से मन भर जाता है तो दूसरी महिला के साथ संबंध बना लेता है। खुद की बीवी की कदर नहीं करते हैं। उसे बोलते हैं कि तुम नहीं रहना तो अपने घर चली जाओ लेकिन वो जाए कहाँ? क्योंकि न तो ससुराल उसका है न ही मायके वाले। यह सब होने पर लड़की अंत में आत्महत्या करने पर विवश हो जाती है।

समाज में लड़की का साथ देने वाला कोई नहीं होता है। अपने पैरों पर खड़ी हो तो बोलते हैं ये तो खराब लड़की है। कुछ काम करे तो इसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। बहुत भला बुरा कहते हैं। लड़की करे तो गलत, लड़के करे तो सही। हमेशा से ऐसा ही होता चला आ रहा है। बस शादी करवाकर ससुराल भेजना, ससुराल वालों की हर बात मानना ही सब लड़की के लिए यही सही मानते हैं। लेकिन इससे हम लड़कियों की जिन्दगी तो खराब ही हो जाती है।



माया गुर्जर
पदमपुरा, अजमेर



पदमपुरा की रहने वाली 19 वर्षीय माया गुर्जर बी.ए प्रथम की छात्रा है। महिला जन अधिकार समिति के कार्यकर्ताओं के जरिये संस्था से माया इस सोच के साथ जुड़ी कि अपने अधिकारों के बारे में समझकर दूसरी लड़कियों को भी प्रेरित कर सकें। संस्था से जुड़ने के बाद माया खुद को एक आजाद पंछी के रूप में महसूस करती हैं क्योंकि उसमें यह आत्मविश्वास बन चुका है कि वह अकेले बाहर जा सकती हैं, लोगों के सामने अपनी बात रख सकती है और अपनी परेशानियों से लड़ सकती है। माया का मानना है कि बचपन में ही बाल विवाह करके लड़कियों से उनके बोलने का अधिकार छीन लिया जाता है और उनकी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। इसलिए गांव की लड़कियों के साथ संस्था का जुड़ाव होना जरूरी है ताकि सभी अपनी परेशानी खुलकर बता सकें।

चरखा संस्था द्वारा जो वर्कशॉप करवाया गया उसमें माया को आलेख के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा और वह आलेख के माध्यम से गांव के मुद्दों को बाहर लाना चाहती है।

स्कूल दूर होने के कारण लड़कियां नहीं कर पाती हैं शिक्षा पूर्ण

माया गुर्जर



PHOTO: GETTY IMAGES

कई गांव ऐसे हैं जिसमें स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। उनमें से एक गांव पदमपुरा भी है, जहाँ अभी भी आठवीं तक ही विद्यालय है। उसके बाद पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर दूर माकड़वाली गांव में जाना पड़ता है। जब हम सारी लड़कियां स्कूल जाते हैं, तब हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में हमारे स्कूल बैग पूरी तरह से गीले हो जाते हैं और किताबें तथा स्कूल सामग्री पूरी तरह से खराब हो जाती हैं। जिन्हें ठीक करने के लिए हमें चार पांच दिन लग जाते हैं और जब हम स्कूल जाते हैं तो रास्ते में खेत व बड़े बड़े बबूल के पेड़ होते हैं, जिनमें हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं।

ऐसी कई समस्याओं की वजह से कई लड़कियां आगे नहीं पढ़ पाती है क्योंकि उनके मां बाप को डर रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए। जब हम अपने आसपास की रेप या लड़की के साथ छेड़छाड़ की कोई घटना सुनते हैं तो हमें कभी-कभी ऐसा डर रहता है कि कहीं यह घटना हमारे साथ ना हो जाए। पहले हमारे गांव में सिर्फ दो लड़कियां बाहर पढ़ने जाती थीं, फिर धीरे धीरे और भी लड़कियां जाने लगीं हैं। स्कूल जाते हैं तो कई प्रकार की लड़ाई हमें लड़नी पड़ती है। कई औरतें बोलती हैं कि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। ऐसी पढ़ाई करके तुम करोगी क्या? आखिर में तुम्हें आगे करना तो घर का काम ही है, और तुम तो पराया धन हो।

जिन लड़कियों के मां बाप उनको पढ़ा रहे होते हैं उनको लोग बहला फुसला देते हैं कि जमाना खराब है। अगर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतनी पढ़ाई करके करेगी क्या? जैसे नौकरी तो लगने वाली नहीं है। इससे अच्छा है इसे ससुराल भेज दो और अपनी घर गृहस्थी में लगा दो। फिर हम कुछ एक लड़कियों ने हिम्मत करके बोला और अब हम करीब 10-15 लड़कियां बाहर स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं और एक साथ आते हैं एक साथ जाते हैं। अगर कोई भी परेशानी आए तो हम उनका मिलकर सामना करते हैं। 2014 में पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत जी हमारे गांव में आए थे जिनके सामने हम सब छात्र छात्राओं ने मिलकर 12वीं तक स्कूल का प्रस्ताव रखा था। उस समय उन्होंने दावा किया कि दो तीन साल में आपकी स्कूल आगे तक हो जाएगी और आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी हमें पैदल स्कूल जाना पड़ता है। आज भी हमारा स्कूल वहीं रुका हुआ है। ऐसा लगता है मानो कभी यह स्कूल इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि जिस तरह से हमने उनको कहा व कड़ियों को कहते आ रहे हैं उसके हिसाब से तो अब तक स्कूल बन जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी। कभी-कभी कुछ लड़कियों की स्कूल से वापस आते वक्त माहवारी शुरू हो जाती है, जिसमें वह चल नहीं पाती है।

वह उन्हें कहीं प्रकार की पीड़ा उठानी पड़ती है। जब स्कूल जाते हैं तब तो अपने भाई चाचा वे किसी के साथ भी चले जाते हैं। लेकिन वापस आते हैं तब कोई भी गाड़ी नहीं मिलती है और पैदल ही आना पड़ता है। हमारे साथ के कई सहपाठी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। उनका बाल विवाह हो जाने के कारण ससुराल भेज दिया जाता है। वह कच्ची उम्र में ही वह मां बन जाती हैं और उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। उनका भी सपना होता है कि वह पढ़ाई करके कुछ बने लेकिन दूर स्कूल होने के कारण वह स्कूल नहीं जा पाती हैं और उनके घर वाले उनको आगे बाहर नहीं भेजते हैं।

हमारे घर वालों को हमने समझाया, शिक्षक व शिक्षिका की मदद ली तब जाकर हम बाहर पढ़ पाते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमारे गांव के बाहर नहीं पढ़ रही हैं। उनके घर वालों को भी हमने बहुत समझाया। लेकिन वो उन्हें बाहर नहीं भेजते हैं और हमें वापस भगा देते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो रास्ता बिल्कुल सुनसान रहता है और हम अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उस समय हमारे साथ कुछ भी हो सकता है।

ऐसी परिस्थिति में हम सभी लड़कियां साथ होते हुए भी बहुत झिझक कर चलते हैं। पर हिम्मत के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते रहेंगे। गांव वाली औरतों से हमें बहुत सारी परेशानियों में तानों का सामना करना पड़ता है। हमारे घरवालों को लेकर बातें बनाई जाती है। स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां अशिक्षित ही रह जाती हैं और अपने खिलाफ हो रहे जुल्म को चुपचाप सहती रहती हैं।

संविधान में हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन एक अशिक्षित को तो उनके अधिकारों के बारे में कुछ पता नहीं होता है। ऐसे ही हमारे गांव में कई औरतें व लड़कियां मिलती हैं, जो चुपचाप सब कुछ सहती हैं और लड़के से ऊपर कभी नहीं रहती हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर पूरे गांव की लड़कियां एक साथ स्कूल जाएँ और आएँ तो हम दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकते हैं और किसी की हिम्मत नहीं जो हमारी तरफ आंख उठा कर देख ले और हमारे चरित्र के बारे में कुछ बोल दे, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। बिना संगठन के एक अकेली लड़की कुछ भी नहीं कर सकती है। अब तो धीरे धीरे हमारे गांव की लड़कियां बाहर जाने लगी हैं। मैं खुश हूं कि अब हमारे गांव की कम से कम 15 लड़कियां तो बाहर पढ़ने जाती हैं और आगे यही कामना करूंगी कि अधिक से अधिक लड़कियां पढ़ें। जब हमने पढ़ाई शुरू की और हम स्कूल जाने लगे तो धीरे धीरे दूसरी लड़कियों में भी हमें देखकर हिम्मत आई और वह अपने घर वालों से अपनी पढ़ाई को लेकर लड़ाई कर पाई और आगे पढ़ पा रही है।

जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें लड़के परेशान करते हैं, बोलते हैं हमारे से दोस्ती कर लो। हम उनको मुंहतोड़ जवाब तो दे देते हैं लेकिन हम यह बात अपने घर वालों से नहीं कह सकते हैं। अगर घर वालों से कह तो उन्हें डर तो पहले ही रहता है और हमारी पढ़ाई छूट जाती है। जिससे हमें थोड़ी बहुत परेशानियों को सहना पड़ता है और चुप रहना उस वक्त ठीक होता है क्योंकि लोगों को तो बातें बनाने का सिर्फ बहाना मिलना चाहिए। यह बात हम अपनी स्कूल की शिक्षक शिक्षिका को बताते हैं और वे ही इस समस्या को सुलझाते जाते हैं। हम उन लड़कों को कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि हम रास्ते में अकेले आते हैं तो हमें डर रहता है कि कहीं वह और सारे लड़कों को साथ में लेकर हमारे साथ कुछ कर ना दे। कई घर गरीब होने के कारण स्कूल सामग्री नहीं दे पाते हैं जिसकी वजह से भी लड़कियां नहीं पढ़ पाती है।

स्कूल जाते वक्त हमें रास्ते में देर हो जाती है और हम स्कूल समय में स्कूल में नहीं पहुंच पाते हैं। तो टीचर की ओर से हमें रोज रोज डांट सुनने को पड़ती है और सजा भी दी जाती है। माहवारी के समय तो लड़कियां स्कूल भी नहीं जा पाती है। उन्हें गीलेपन का डर रहता है। कभी कभी खाना ले जाना भूल जाते हैं तो आते वक्त बहुत दिक्कत होती है। अब हम करीब 10-15 लड़कियां बाहर स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं।



मेहर बानो

केकड़ी, अजमेर



मेहर बानो केकड़ी की रहने वाली हैं। वह अभी आर्ट्स विषय से बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत हैं। महिला जन अधिकार समिति से मेहर अपनी माताजी के द्वारा जुड़ी। जब मेहर की माताजी समिति में जॉब के लिए अप्लाई करने आई थी तब उनके साथ मेहर भी वहां आयी थी और उसने कम्प्यूटर सेंटर देखा। जहां लड़कियों को फ्री में कम्प्यूटर सिखाया जाता है तो उनकी रूचि बढ़ी और उन्होंने यहाँ के बारे में पूरी जानकारी ली और यहाँ पर कम्प्यूटर सीखने के जरिये समिति से जुड़ी। वर्तमान में मेहर ग्रासरूट्स पत्रकारिता कोर्स की छात्रा हैं। समिति से जुड़ने के बाद मेहर में बहुत से बदलाव आए हैं। पहले वह ज्यादा नहीं बोलती थी, चुप रहती थी, हर छोटी छोटी बात पर रोया करती थी। लेकिन समिति से जुड़ने के बाद उसमें हिम्मत आयी है। वह खुद को आजाद महसूस करने लगी है, अपनी बात को बिना डर झिझक के बोलना सीखी हैं और सही गलत में फर्क करने की क्षमता उनमें विकसित हुई है। मेहर का मानना है कि लड़कियों का ऐसे प्लेटफॉर्म ले साथ जुड़ाव होना जरूरी है। ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे तो लड़कियां अपने गांव के मुद्दों को सामने ला पाएंगी, अपनी बात सभी के सामने रख पाएंगी।

चरखा द्वारा जो वर्कशॉप करवाया गया उनमें मेहर का अनुभव रहा कि उन्होंने आलेख क्या होता है? किस प्रकार से लिखा जाता है और आलेख में सामाजिक मुद्दों पर किस प्रकार इंगित किया जाता है और जब भी आलेख लिखें तो उसमें मुद्दे क्या होने चाहिए? यह सभी बातें जानी। मेहर ने वर्कशॉप के माध्यम से लिखने के महत्व को समझा। यह जाना कि लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी है और लिखने की अपनी क्षमता से बदलाव लाया जा सकता है।

अंधविश्वास की जकड़ में समुदाय

मेहर बानो



PHOTO: GOOGLE

नोरती देवी जो सरवाड़ क्षेत्र की रहने वाली है उनका ससुराल केकड़ी ब्लॉक की एक बड़ी सी बस्ती काजीपुरा में स्थित है। यह बस्ती बहुत ही पिछड़ी हुई है। इसे कच्ची बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के अधिकतर लोग अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों पर विश्वास करते हैं। साथ ही यहां के लोगों में धर्म और जाति को लेकर भी भेदभाव किया जाता है। काजीपुरा बस्ती में अधिकतर लोग पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। नोरती देवी जो कि सासी समुदाय से है, उनकी उम्र 45 वर्ष है। उनकी 4 बेटियां और 1 बेटा हैं। सबसे बड़ी बेटी ससुराल जाती है। 2 अन्य बेटियों का बाल विवाह हुआ है, परंतु उनका अभी गौना नहीं हुआ है।

नोरती देवी के घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर होने के कारण उनके बच्चों को अच्छा पोषाहार नहीं मिल पाता है जिसके कारण उनके बच्चे बहुत कमजोर हैं। नोरती देवी के पति लकवे की बीमारी से ग्रस्त है। इसलिए वह खेती का कार्य करके अपना घर चलाती है। काजीपुरा बस्ती में अधिकांश महिलाओं की लगभग यही स्थिति है। इस कच्ची बस्ती की महिलाएं छोटा मोटा काम जैसे खेती, गलीचा बनाना, झाड़ू पोछा, गुद्धिया रजाई, गद्दे और सीजन के हिसाब से काम करके अपना घर चलाती हैं। क्योंकि इस बस्ती में बहुत कम पुरुष अपनी आजीविका के लिए काम करते हैं। जो काम करते भी हैं वह भी अपने पैसे नशे में खर्च कर देते हैं।

सांसी समुदाय में पुरुषों की नहीं, बल्कि महिलाओं बच्चों द्वारा भी अलग-अलग प्रकार के नशे किए जाते हैं। समुदाय की महिलाएं शराब का सेवन करती हैं और सांसी समुदाय के लड़का और लड़कियां दोनों ही शिक्षा से वंचित हैं। छोटी उम्र के लड़के छोटी मोटी चोरी करके सिगरेट का नशा करते हैं। नोरती देवी का परिवार अंधविश्वास पर बहुत विश्वास करता है। उनकी सास जिनकी उम्र 70 वर्ष है, उन्हें भाव आते हैं। नौरती के परिवार का मानना है कि उनके बाबा ही उनके पति को ठीक कर देगे जिस कारण नोरती देवी भी अपने पति को कभी हॉस्पिटल लेकर नहीं लेकर नहीं जाती हैं। पूरे सांसी समुदाय उन बाबा पर विश्वास करता है। समुदाय में कोई बीमार होता है तो उस बीमार इंसान को बाबा के पास ले जाया जाता है। उनका मानना है कि बाबा के झाड़ से वह बीमार इंसान ठीक हो जाएगा। सांसी समुदाय में अधिकांश लोग यह सोच के अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चों के लिए तो बाबा ने अच्छा सोच रखा है।

सांसी समुदाय में अधिकांश लोग यह सोच के अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चों के लिए तो बाबा ने अच्छा सोच रखा है। उस समुदाय के लोग अपने बच्चों को उन बाबा के पास भेजते हैं। उनका अंधविश्वास है कि अगर बच्चे बाबा की सेवा करेंगे तो इन्हें इसका फल अच्छा मिलेगा।



PHOTO: INDIA TODAY

ऐसा अंधविश्वास केवल सांसी समुदाय में नहीं बल्कि सभी समुदाय में देखने को मिलती है। वह अंधविश्वास में आकर बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। उनकी जल्दी बाल विवाह कर देते हैं। बच्चे स्कूल न जाने के कारण गलत काम करने लगते हैं और इस इस तरह के माहौल को देखते हुए बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले भी बहुत अधिक बढ़ते हैं। लोग अंधविश्वास में आकर लड़कियों महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। आज हमारा समाज इतना पीछे है कि उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण यही अंधविश्वास है।



मेहराज

केकड़ी, अजमेर



मेहराज बानो केकड़ी अजमेर की रहने वाली हैं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं। महिला जन अधिकार समिति से इनका जुड़ाव 2018 में हुआ। वर्तमान समय में वह संस्था में कार्यकर्ता के भूमिका में हैं। इसी के साथ संस्था द्वारा चलाए जा रहे पत्रकारिता कोर्स का भी हिस्सा हैं। सामाजिक चुनौतियों से लड़ते हुए इन्होंने अपने तलाक के बाद हार नहीं मानी और अपने बच्चों का पालन पोषण स्वयं करने का फैसला किया। संस्था से जुड़ने के बाद इनका नजरिया बदला और वह गलत के खिलाफ आवाज उठाने लगी। महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे समाज के सामने रखने लगी। मेहराज के अनुसार महिला जन अधिकार समिति और चरखा जैसे प्लेटफार्म से लड़कियों का जुड़ाव होना आवश्यक है क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों की आवाज को दबा दिया जाता है और उनके साथ हर जगह भेदभाव होता है इसलिए यदि ऐसे संस्थानों से लड़कियों का जुड़ाव होगा तो उनके मुद्दे आगे तक पहुंचेंगे।

चरखा द्वारा ली गई वर्कशॉप से इन्होंने जाना कि मौखिक बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण लिखित जानकारी होती है। आलेख और इसके प्रकार के बारे में जाना। इस तरह से इन्हें कई महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारियां मिलीं।

कालबेलिया समुदाय लड़की की सबसेसफुल स्टोरी

मेहराज

किशोरी बालिका सकीना कालबेलिया जिसकी उम्र 16 वर्ष है, वह अजमेर जिले के केकड़ी ब्लॉक स्थित 20 किलोमीटर दूर गांव डाबर कॉलोनी की रहने वाली है। वह अभी बारहवीं में पढ़ रही है। सकीना कालबेलिया समुदाय से एकमात्र लड़की है, जो किशोरी समूहों से जुड़ी है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। वह समूह की प्रत्येक गतिविधियों में भाग लेती है और लगातार किशोरी बैठक में अपनी भागीदारी निभाती है। सकीना एक गरीब परिवार की लड़की है। उनके पास में मकान नहीं है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वह झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। परिवार में सकीना के माता पिता दो भाई और दो बहन हैं। सकीना के पिता गांव गांव जाकर कम्बल बेचने का काम करते हैं और अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। सकीना को पढ़ते देखकर उसका भाई भी पढ़ाई कर रहा है। जो कक्षा 10 का छात्र है।

कालबेलिया समुदाय में अधिकतर लोग पलायन करने वाले घुमक्कड़ जाति के होते हैं। इनके समाज में अधिकतर परिवार कुत्ते पालने का शौक रखते हैं। वह कुत्ते इसलिए पालते हैं कि उनके मकानों की देखरेख हो सके और साथ में वह रात को जंगल में जाकर शिकार पकड़ कर लाते हैं।

साथ ही इस समुदाय में अंधविश्वास भी बहुत देखने को मिलता है। डाबर कॉलोनी में एक बहुत बड़ा बाबा स्थान है।

जहां से दूर दूर से यात्री बाबा के स्थान पर आते हैं। वहां पर रहने वाले सौदान कालबेलिया को बाबा का भाव आता है। पहले यहां स्थान कच्चा था। बाद में धीरे-धीरे वहां पर बाबा का स्थान पक्का हो गया है और वर्तमान में बहुत अच्छी उन्नति पर भी है। बाबा का स्थान होने से एक बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि उस बस्ती में 50 परिवार रहते हैं। उनके पास कोई रोजगार नहीं है। खाने-पीने की बहुत समस्या है। लोगों की मुराद पूरी हो जाती है तो वह बाबा के स्थान पर भंडारा करते हैं। जिससे पूरी बस्ती का पेट भरता है और उनको अच्छा खाने को भी मिलता है। सकीना किशोरी बैठक के दिन सभी किशोरियों को घर घर बुलाने जाती है। यदि उसे या उसके समुदाय में अगर कोई भी समस्या आती है तो समूह में इसे शेयर भी करती है।

चाहे वह बात खुद सकीना की हो या समुदाय की हो या अन्य किशोरियों की। वह हर बात को मीटिंग में रखती है। सकीना बहुत अच्छा डांस भी करती है। उसका बोलचाल रहने पहनने का तरीका बिल्कुल अलग है। पढ़ने के साथ-साथ वह घर का काम भी करती है। जैसे कच्चे मकान के आंगन में लिपाई करना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, छोटे भाई बहन की देखरेख करना आदि।


सकीना उस बस्ती में रहने वाले छोटे बच्चों को भी विद्यालय से जोड़ती है। उसके पढ़ने से समुदाय के बच्चे विद्यालय जाना शुरू हुए हैं। जागरूकता के कारण कई बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र भी बने हैं। विद्यालय से बच्चों को किट भी मिलने लगे हैं। इससे कालबेलिया समुदाय के लोगों में शिक्षा को लेकर रुझान बढ़ रहा है। सकीना को पढ़ते देख कर उनके समुदाय में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लगे हैं।

सकीना को महिला जन अधिकार समिति की ओर से पढ़ने के लिए कॉपियां, सेनेटरी पैड, खाद्य किट और हाइजीन किट भी दिए गए हैं है। वहां की सभी किशोरियों को सकीना सेनेटरी पैड की जानकारी देती है। सेनेटरी पैड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। साफ सफाई का कैसे ध्यान रखते हैं। सारी बातें सकीना किशोरियों से चर्चा करती है। कालबेलिया बस्ती के पास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। जहां पर सकीना पढ़ती है। वहां के सभी टीचर सकीना को बहुत ही शाबाशी देते हैं। सकीना के पढ़ने से वह बहुत खुश हैं क्योंकि उसकी वजह से उस बस्ती में जागरूकता की लहर आई है। अन्य बच्चे भी शिक्षा से जुड़े हैं। सकीना ने अपनी शादी रोक रखी है। माता.पिता को बोल दिया है जब तक मैं पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हों जाती तब तक शादी नहीं करूंगी। ***

वह नहीं चाहती उसके साथ ऐसा हो जो उनके समुदाय की अन्य लड़कियों के साथ होता है। उनके समुदाय में बाल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं। छोटी सी उम्र में लड़कियां ससुराल आने जाने लग जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं और जल्द गर्भधारण भी होता है जिससे महिलाएं एनीमिक और कमजोर होती हैं। इस कारण से शिशु मृत्यु दर अधिक है। कालबेलिया समुदाय में पढ़े.लिखे नहीं होने के कारण इस समुदाय की अधिकतर महिलाओं के प्रसव घर पर ही होते हैं। जिससे कई बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। इन सभी मुद्दों को सकीना आगे ले कर जाना चाहती है और अपनी बात रखना चाहती है। वह अपने समुदाय के लिए एक मिसाल बनना चाहती है। पढ़ लिख कर इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगी।



PHOTO: © 2009 BY WZCC



मेरी सदुम्हा

केकड़ी, अजमेर



28 वर्षीय मेरी सदुम्हा केकड़ी की रहने वाली है। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया। आर्थिक व सामाजिक स्थिति कमजोर होने के कारण पढ़ाई पूरी करने से पहले शादी का भी दबाव आया लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपने पूरे करने के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ कर आगे बढ़ी। इनके सपनों ने इन्हें मजबूत बनाया और इसी बीच इनका जुड़ाव महिला जन अधिकार समिति से हुआ। समिति से जुड़ने के बाद इनका आत्मविश्वास बढ़ा, तकनीकी चीजों के प्रति निडर बनी, अपनी बात किसी के भी सामने बेझिझक होकर रखने लगी और अपने सपनों को पाने की तरफ इनके कदम चल पड़े हैं।

इनकी शुरुआत आजाद फाउंडेशन में प्रोफेशनल महिला ड्राइवर की ट्रेनिंग के रूप में हुआ और यह साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। इसी के साथ इन्होंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क में डिग्री हासिल की हैं। वर्तमान समय में यह केकड़ी टेक सेंटर में कंप्यूटर फैसिलिटेटर के रूप में कार्य कर रही है। इसी के साथ यह समिति द्वारा चलाए जा रहे पत्रकारिता कोर्स का भी हिस्सा है। मेरी के अनुसार महिला जन अधिकार समिति और चरखा जैसे प्लेटफार्म से लड़कियों का जुड़ाव होना जरूरी है क्योंकि इस तरह के प्लेटफार्म की मदद से लड़कियां बाहरी दुनिया को देख व समझ पाती हैं और अपने बारे में सोच पाती हैं। चरखा द्वारा ली गई वर्कशॉप से लेख और आलेख पर इनकी समझ बनी और कई नई-नई जानकारियां मिली कि जैसे "जितना लिखना जरूरी है उतना पढ़ना भी जरूरी है।

कोविड 19 प्रतिक्रिया: लड़कियों पर प्रभाव

मेरी सदुम्हा



Photo: Rural.nic.in

2 साल से चल रहे कोविड 19 महामारी ने सभी के जिन्दगी को प्रभावित किया है। खासकर लड़कियों के जीवन में इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। केकड़ी ब्लॉक और इसके आसपास के 35 गाँव जो 15 से 20 किमी दूर हैं, यहाँ की लड़कियों से मिलकर उनकी मनोस्थिति पर की गई चर्चा, सभी लड़कियों की कहानी बयां करती है।

कोविड में शिक्षा

कोविड ने मानो लड़कियों के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया हो। जिस शिक्षा के जरिए वो अपने आगे के सपनों को बुन रही थी, वो 2 साल से रूक गया है। जो भी पढ़ा व सीखा था वो सब कुछ भूल गए हैं। यह बहुत हद तक मुमकिन है कि ऑनलाइन शिक्षा गाँव तक पहुंच जाये, लेकिन एक लड़की तक पहुंच जाये यह बहुत मुश्किल होता है। यदि एक लड़की को कक्षा में जुड़ने के लिए मोबाइल दिया जाता है तो घरवाले उसके आसपास ही नजर आते हैं, इस सोच के साथ कि किसी से बात तो नहीं कर रही है।

लड़कियों को शक व गुनाहगार के नजरिये से देखा जाता है। 15 साल की कामिनी पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन लॉकडाउन हो जाने की वजह से उसकी पढ़ाई बहुत बाधित हुई है। उसका मानना है कि बिना परीक्षा के आगे की कक्षा में बढ़ा दिया गया, जिससे इतने दिनों की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकला। अभी उसके घर में पढ़ाई करने का माहौल ही नहीं बन पाता है। बहुत शोर शराबा होता है। अभी तक स्कूल बन्द है और पता नहीं कब खुल पायेगा? इन बातों को सोच कर लड़कियों की आँखे भर आती हैं। लड़कियों के लिए स्कूल एक ऐसी जगह है जहां वह अपने पसंद की चीजें और बातें करती हैं, खुलकर मस्ती व सीखना होता है। आज वह पूरी तरह बंद पड़ा है।

लॉकडाउन से जिन्दगी में बदलाव

कोविड के कारण लड़कियों का जीवन और उनकी इच्छाएं एक बार फिर से बंधनों से जकड़ गया है। जिस यात्रा को उन्होंने शुरू किया वो कई कदम पीछे की ओर चली गई है। घर ही घर में रहने से घुटन, अकेलापन व असहजता की भावना ने दिमाग में जड़ कर लिया है। घर में सभी के एक साथ रहने से हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं। जिससे रिश्तों में दूरियां बढ़ गई हैं। लड़कियां पूरे दिन घर का काम करती हैं, दूर कुएं से पानी लाती हैं, अपने से छोटे भाई बहनों को सम्भालती हैं।

वर्तमान में किताब और पेन वाले हाथों में सिर्फ घर का काम दिखाई देता है। इस दौरान लड़कियों पर शादी व गौना का दबाव बढ़ा है। 16 साल की माधवी, जिसे परिवार के लोग ताने कसते रहते हैं कि किसी के साथ भाग जायेगी, जिंदगी भर रोती फिरेगी पढ़ाई बंद हो गया तो अब शादी कर और ससुराल जाकर अपना घर सम्भालना सीख। इस तरह के कई तानों ने लड़कियों के हर पल को बहुत मुश्किल भरा बनाया है और उनके उड़ते ख्यालों को बांध दिया है।

लॉकडाउन का स्वास्थ्य पर प्रभाव –

लॉकडाउन के कारण घरों आर्थिक स्थितियां कमजोर हो गई हैं। लड़कियों को पर्याप्त खाना नहीं मिल पाया जिसके कारण उनके शरीर में खून की कमी, हिमोग्लोबिन का कमतर स्तर व अनिमिया जैसे दिक्कतें समाने आयीं हैं। लड़कियों की हर माह होने वाली माहवारी अनियमित हो गई है। माहवारी के समय पैड नहीं मिल पाया जिसके कारण कपड़ा इस्तेमाल में लेना पड़ा। इससे बहुत समस्या हुई। कपड़ा इस्तेमाल करने की आदत नहीं होने के कारण योनी में दर्द, जलन और जांघे छिल गई थी। लॉकडाउन के बाद शुभा का माहवारी आना बंद हो गया है। जिससे उसके शरीर में कई दिक्कतें होने लगी हैं।

डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। चंदा नायक की माहवारी 5 महीने से लगातार 15 दिन तक चल रहा है और खून भी ज्यादा जाता है। जिसके कारण वह बहुत कमजोर हो गई है। डॉक्टर से इलाज करवा कर दवाईयों को सहारा बनाया है। इस तरह से कोविड के कारण कई लड़कियों का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है।

कोविड और लड़कियों के साथ हिंसा और उनकी भावनाएं –

कोविड में लड़कियां अपने ही घर पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। उनके साथ वहां भी हिंसा किया जा रहा है। ;जल्द ही कि हिंसा, बलात्कार ही हो। हिंसा किसी भी प्रकार का हो सकता है, कहीं पर भी हो सकती है। यह सिद्ध भी है कि लड़कियों के साथ 95 प्रतिशत शोषण उनके घर में व उनके जान पहचान द्वारा किये जाते हैं। आज मैं खुद इस बात का सबूत हूँ और मेरे जैसी अनेकों लड़कियां। लड़कियों में ज्यादातर घरेलू काम करने की बातें उभर कर सामने आयी हैं। पूरे घर के काम का बोझ उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। खाना बनाना, पानी लाना, सभी का देखभाल करना, जानवरों की देखरेख, अपने खेतों पर काम करना जैसे अनेक कामों ने उनके दिनचर्या को बदल दिया है। बाहर आने जाने पर रोक टोक और बात बात पर ताने बढ़ गई है।

कोविड से पहले यदि लड़कियां कहीं बाहर जाती तो उनके पास एक जवाब होता था कि पढ़ाई से सम्बंधित जानकारी लेने जा रही हूँ, लेकिन आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। बाजार और दूकानें कभी कभी सहेलियों के साथ जाना होता था वो सिर्फ घर परिवार के साथ हो गया है। जो पुरुष रोजगार के कारण बाहर रहते थे, लॉकडाउन लगने के पश्चात वह सभी अपने अपने घर आ गये।




Photo: (Flickr)

घर में सभी के रहने से लड़कियां दिनभर उनकी नजरों के सामने रहती थीं। जिसके कारण कई लड़कियों के दोस्ती रिश्तों की बातों को लेकर उनके साथ मारपीट किया गया। इसके कारण घरवाले उनकी पढ़ाई छुड़वाना चाहते हैं। 16 साल की पिकी घर के माहौल से बहुत परेशान है और घुटन महसूस करती है। किसी से अपने दिल की बात नहीं कह पाती है। उसे लगता है कि उसे कोई समझता भी नहीं। जो लोग घर पर आते हैं वो उसे ही समझाकर चले जाते हैं और सभी अपने मतलब के लिए बोलते थे। किसी को उसके बोलने या ना बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन सभी बातों को सोचकर मन ही मन रोने लगती है। किसी से अपनापन और प्यार का अहसास नहीं होता है। लड़कियां इस स्थिति से जूझ रही हैं जिसके कारण मन में उदासी, गुस्सा व मानसिक तनाव बढ़ा है।

वर्तमान में सहयोग और जरूरत

लड़कियों के माता पिता व घरवालों का व्यवहार सहज, दोस्तीनुमा बनें जिससे लड़कियां अपनी बातों को बोल पायेगी और अकेलापन महसूस नहीं करेंगी। लड़कियों की मदद गांव वाले अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए लड़कियों से जुड़ाव रखना होगा तथा उन्हें हर कार्य के लिये लड़कियों को प्रोत्साहित करना होगा। लड़का.लड़की में किसी भी तरह का भेदभाव ना करें। लड़कियों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालें बल्कि उन्हें सुरक्षित महसूस करायें। उनके पढ़ने व आगे बढ़ने के मौके उपलब्ध करवायें। महिला जन अधिकार समिति लगातार केकड़ी ब्लॉक व आसपास के गाँव की लड़कियों से जुड़े हुए हैं। उनके लिए सहज व सुरक्षित माहौल बनाते हैं जिस पर वो खुलकर अपनी बात रख सकें।



Photo: (Meena Kadri / Flickr)



मोनिका मेघवंशी

अजयसर, अजमेर



मोनिका मेघवंशी अजयसर की रहने वाली हैं और 12वीं पास हैं। इनका जुड़ाव महिला जन अधिकार समिति से बाल समूहों के जरिए हुआ। इस संस्था से जुड़ने के बाद इनका आत्मविश्वास बढ़ा और सभी के सामने अपनी बात खुल कर रखने लगी। अपने अधिकार जाने और अब यह सभी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती हैं। वर्तमान समय में यह महिला जन अधिकार समिति द्वारा चलाए जा रहे पत्रकारिता कोर्स का भी हिस्सा है। मोनिका के अनुसार महिला जन अधिकार समिति और चरखा जैसे प्लेटफार्म से ग्रामीण लड़कियों का जुड़ाव होना जरूरी है ताकि इनकी मदद से वह अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो और अपनी लड़ाई खुद लड़ सके।

चरखा द्वारा ली गई वर्कशॉप से आलेख लेखन के बारे में जाना और यह जाना की हम अपने लेखन के जरिए समाज का नजरिया बदल सकते हैं।

स्त्री शिक्षा

मोनिका मेघवंशी

भारत की उन्नति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है क्योंकि अपने बच्चों की पहली शिक्षक माँ ही होती है। जो उन्हें जीवन की अच्छाईयों और बुराईयों से अवगत कराती है। अगर नारी शिक्षा को नजरंदाज़ किया गया तो देश के भविष्य के लिए यह किसी खतरे से कम नहीं होगा। एक अनपढ़ महिला में वो काबिलियत नहीं होती जिससे वह अपने परिवार और बच्चों का सही ख्याल रख सके। इस कारण आने वाली पीढ़ी कमज़ोर हो जाएगी। हम महिला साक्षरता के सारे लाभ की गिनती तो नहीं कर सकते हैं, परंतु इतना जरूर कह सकते हैं कि एक शिक्षित महिला अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकती है। उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान दे सकती है। सामाजिक तथा आर्थिक कार्य करके देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकती है।

वर्तमान में भारत महिला साक्षरता के मामले में लगातार प्रगति कर रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में भी बहादुर महिलाओं जिक्र किया गया है। मीराबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई जैसी कुछ मशहूर महिलाओं के साथ-साथ वेदों के समय की महिला दर्शनशास्त्री गार्गी विस्वबरा, मैत्रयी आदि का भी उदाहरण इतिहास का पन्नों में दर्ज है। ये सब महिलाएं प्रेरणा का स्रोत हैं।

समाज और देश के लिए दिए गये उनके योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। पौराणिक युग से लेकर आजादी के बाद के समय तक महिला साक्षरता को लेकर किये गये प्रयासों में बहुत प्रगति हुई है। हालांकि अभी यह कार्य संतुष्टि के स्तर तक नहीं पहुँचा है। अभी भी इस दिशा में काफी काम करना बाकी है।



Picture Courtesy: un.org

भारत के विश्व में बाकी देशों से पिछड़ने के पीछे महिला साक्षरता की कमी का ही होना है। भारत में महिला साक्षरता को लेकर गंभीरता इसलिए कम है क्योंकि बहुत पहले समाज में महिलाओं पर तरह-तरह की पाबंदियां थोप दी गई थी। इन पाबंदियों का जल्द ही हटाना बेहद जरूरी है। इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए हमें महिला शिक्षा को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलानी होगी और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति प्रेरित करना होगा जिससे वे आगे आकर समाज और देश को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें।



नीरज गुर्जर
हांसियावास, अजमेर



हांसियावास गांव की रहने वाली 17 वर्षीय नीरज गुर्जर 12 वीं कक्षा की छात्रा है। वह महिला जन अधिकार समिति से फुटबॉल के माध्यम से जुड़ी और अब वह पत्रकारिता कोर्स की छात्रा हैं। इसके अलावा वह अलग-अलग गतिविधियों में पूरी भागीदारी निभाती हैं। वर्तमान में उसे संस्था से जुड़े हुए 5 वर्ष हो गए हैं। संस्था से जुड़ने के बाद नीरज का चीजों को देखने का नजरियाँ बदला और विचारों में परिवर्तन आया है। सही गलत की समझ बनी, लोगों के सामने अपनी बात रखने का आत्मविश्वास बढ़ा और बाहर आने जाने में झिझक दूर हुई। नीरज का मानना है कि ऐसी संस्थाओं का गांव की लड़कियों के साथ जुड़ाव होना बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी मदद से लड़कियां अपनी परेशानियों और अपनी बात को लोगों के सामने रख सकती है। जानकारी होने से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी तो समाज में फैली कुरीतियों पर खुलकर अपनी बात रखेंगी और स्वयं के अधिकारों के लिए लड़ेंगी।

चरखा द्वारा जो वर्कशॉप करवाया गया उसमें नीरज का यह अनुभव रहा कि कैसे लेखन के जरिए समाज में परिवर्तन ला सकते हैं? लिखने के लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। साथ ही आलेख के जरिए अपनी गांव की परेशानियों को लोगों और सरकार तक पहुंचा सकते हैं।

घूंघट प्रथा एक रिवाज या महिलाओं की दबी हुई आवाज?

नीरज गुर्जर

हमारे समाज में महिलाओं के लिए कई नियम बनाए गए हैं। उनमें से एक है घूंघट प्रथा भी शामिल है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में महिलाएं अपने ससुराल में घूंघट का पालन करती हैं। समाज के लोगों का कहना है कि यह नियम इसलिए है ताकि महिलाएं अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत कर सकें। अक्सर यह सवाल उठ कर आते हैं कि यह नियम केवल महिलाओं के लिए ही क्यों है? क्या महिलाओं के घूंघट निकालने से पुरुषों की इज्जत बढ़ेगी? समाज में घूंघट को एक मामूली सी बात समझी जाती है। घूंघट निकालने को महिलाओं का कर्तव्य माना जाता है। अगर कोई महिला इस नियम का पालन नहीं करती है तो उससे बेशर्मा समझा जाता है। साथ ही दूसरी औरतों को सलाह दी जाती है कि ऐसी महिलाओं के साथ मत रहो।

आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी अधिकतर ग्रामीण और कुछ शहरी जगहों पर महिलाओं को पूरी आजादी नहीं मिल पाई है। घूंघट एक ऐसी प्रथा है जो महिलाओं की आवाज छीन लेती है क्योंकि इससे महिलाओं की आवाज के साथ साथ उनके सपने भी दब कर रह जाते हैं। वह अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को उस घूंघट की शर्म की वजह से लोगों के सामने नहीं रख पाती है और घुट-घुट कर उसकी जिंदगी कटती रहती है।

बात केवल घूंघट और महिलाओं के पहनावे की नहीं है, बात है उनके अधिकारों की, उनके सम्मान की, यह छोटी बात नहीं है जिस पर चर्चा नहीं की जाए। यह हमारे देश की उन हजारों महिलाओं की बात है। जिनके अधिकारों का हनन हम सबके सामने हो रहा है फिर भी हम अधिकतर इस पर बात नहीं करते हैं। कोई भी पहनावा अपनी मर्जी से होना चाहिए जैसे पुरुषों को कुछ भी पहनने की आजादी है वैसे महिलाओं को क्यों नहीं है? क्या वह इंसान नहीं है? क्या वह इस देश का हिस्सा नहीं है? पुरुषों का तो शादी के बाद पहनावा नहीं बदलता है फिर महिलाओं का ही क्यों बदलता है? बदलाव जरूरी है केवल पहनावे में ही नहीं बल्कि समाज की मानसिकता में भी।



Photo:ichowk.in

महिलाओं को भी समझना होगा यह घुंघट इज्जत के लिए नहीं है बल्कि उनके शोषण का एक रूप है। यह पुरुषवादी समाज की एक सोची समझी चाल है जिसे महिलाएं अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत के नाम पर स्वीकार कर लेती हैं और धीरे-धीरे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेती हैं। एक ऐसा हिस्सा जो उनसे उनके कहीं अधिकार छीन लेता है। अब इस नियम को बदलना होगा। महिलाएं अपने हिसाब से अपना पहनावा चुनेगी। पर क्या यह हम सब के साथ के बिना मुमकिन है? हम सबको मिलकर इस आजाद भारत में महिलाओं की आजादी के लिए लड़ना होगा।

अपनी मां बेटियों की खुशियों के लिए आवाज उठानी होगी। उनको भी वह सब सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक पुरुष को मिलती है। वैसी ही आजादी वैसे ही सपने। ज्यादा कुछ नहीं मांग रही है। महिलाएं समाज से वह सिर्फ अपने अधिकार मांग रही है जो कि उनका हक है और उन्हें मिलना चाहिए। अगर हम सब मिलकर इन सब चीजों के लिए लड़े तो जरूर मिलेगी।

**इस देश की बेटियां पूछे सवाल कब होंगे हम आजाद !
क्या सच में मिल पाएंगे हमें अपने अधिकार !!**



Photo: Google Images



निर्मला राठौड़

केकरी, अजमेर



निर्मला राठौड़ केकड़ी से हैं। वह वर्तमान में महिला जन अधिकार समिति में हेल्थ एंड न्यूट्रीशन के मुद्दों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। समिति से निर्मला का जुड़ाव समिति द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों से प्रभावित होने से हुआ। समिति को लड़कियों, महिलाओं के लिए कार्य करते देख निर्मला की इच्छा हुई कि वह भी समिति से जुड़े और महिलाओं और लड़कियों के हित में, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अपना योगदान दे। समिति से जुड़ने के बाद निर्मला में बहुत बदलाव आया है। पहले उनकी स्थिति और मनोस्थिति दोनों ही बहुत अलग थी। वह भी समाज द्वारा बनाए गए नियमों को मानती थी जैसे घूंघट निकलना और सब प्रथाएं, लेकिन अब उनमें बदलाव आया है। वह बेझिझक खुल कर बोलने लगी हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, वह अपने निर्णय खुद लेने लगी हैं, उन्होंने समिति में काम करते हुए अपने लिए गाड़ी खरीदी है और चलाना सिखा है।

गांव की लड़कियों का ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पर ही उन्हें अपनी बात रखने का माहौल मिल पाता है। वरना उन्हें केवल घुटन, दबाव, झिझक की स्थितियां ही मिलती हैं। जहां वह अपने लिए बोल नहीं पाती हैं। ऐसे जुड़ाव से लड़कियों की मानसिक स्थिति बदलेगी और वह खुल कर समस्याओं का सामना कर पाएंगी। चरखा द्वारा करवाए गए वर्कशॉप से निर्मला का अनुभव रहा कि हर चीज़ को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। वह लिखना और लिखने के महत्व को समझ पायी है। उन्हें पता चला कि लिखकर क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं।

घूंघट प्रथा

निर्मला राठौर

इतिहासकारों का मानना है कि घूंघट प्रथा की शुरुआत 22 वीं सदी में हुई। यह प्रथा काफी पुरानी है। लेकिन इतिहासकार व वेदों में घूंघट प्रथा का कहीं कोई जिक्र पढ़ने को नहीं मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि जब हिंदुस्तान में मुस्लिम शासक ने प्रवेश किया तब से यह घूंघट प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। उनका मानना है कि मुस्लिम शासक जैसे हिंदुस्तान आए तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आने लगे। समाज व बड़े-बड़े साहूकारों ने यह घूंघट प्रथा की शुरुआत कर दी ताकि हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ व रेप के मामले सामने ना आए। पहले न तो गांव में व शहरों में महिलाएं घूंघट निकालती थी यहां तक कि पुरानी चित्र शैली में भी घूंघट का कोई चित्र देखने को नहीं मिलता।

समय के साथ धीरे-धीरे घूंघट प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगा और राजस्थान में तो इसका सबसे ज्यादा प्रचलन देखने को मिलता है। राजपूत समाज की महिलाएं ही नहीं बल्कि सभी समाज की महिलाओं के लिए यह नियम लागू कर दिए थे कि सभी महिलाएं घूंघट निकालेंगी। ताकि हमारी बहन बेटियों को कोई पराया पुरुष बुरी नजर से ना देखें। धीरे-धीरे पुरुष ने यह समझ लिया कि घूंघट प्रथा महिलाओं को कंट्रोल करने का अच्छा तरीका है और पुरुष लोग इस घूंघट प्रथा को अपनी शान समझने लगे।

लेकिन यह समाज व समाज के लोगों पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। हम समझ सकते हैं कि एक औरत पूरे दिन घूंघट में कैसे रह सकती है? उसका घुट घुट कर मरना तय है।

सन् 1943 में भी घूंघट प्रथा पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। धीरे-धीरे कई समाज सुधारक जैसे राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई जैसी महान समाज सुधारक इस प्रथा का विरोध करने लगीं। इसके साथ कई संस्थाओं ने भी इस प्रथा के लिए आवाज उठाई व बालिका शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा। जिससे यह नतीजा देखने को आया कि महिलाएं जागरूक होने लगीं। इस प्रथा की चिंगारी चारों तरफ फैल उठी थी। महिलाएं आवाज उठाने लगीं। वह कहने लगी इज्जत आंखों में होती है घूंघट में नहीं। धीरे-धीरे क्रांति में जागरूकता आने लगी और घूंघट का प्रचलन कम होने लगा।

4 दिसंबर 2019 को राजस्थान सरकार ने इस घूंघट प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन अभी भी यह प्रचलन जड़ से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी यह घूंघट प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे आसपास में आसपास के गांवों में इसका अभी भी बहुत ज्यादा प्रचलन है। समय लगेगा लेकिन घूंघट जैसी कुप्रथा का जड़ से अंत होगा।



पूजा गुर्जर

हसियावास, अजमेर



पूजा गुर्जर अजमेर के हासियावास गांव की हैं और बी.ए. प्रथम वर्ष की छात्रा हैं। महिला जन अधिकार समिति द्वारा गांवों में महिलाओं और लड़कियों के लिए अलग-अलग परियोजना व किशोरी समूह का आयोजन किया जाता था तब पूजा सोचती थी कि ये लोग लड़कियों व महिलाओं के लिए काम करते हैं और वह उनसे प्रेरित हुई। उसने सोचा लड़कियों, महिलाओं के साथ इतनी हिंसा होती है तो वह भी इस समिति से जुड़ कर आगे बढ़ने और लड़कियों पर हो रहे अन्याय को रोकने का प्रयास करेगी। वर्तमान में वह समिति द्वारा चलाए जा रहे ग्रासरूट्स पत्रकारिता कोर्स से जुड़ी हैं। पूजा समिति से जुड़ने के बाद खुद को पूरी तरह से बदला हुआ पाती हैं। वह घर से बाहर आने-जाने लगी है, साथ ही वह किसी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम हुई हैं, अब वह अपनी बात को औरों के सामने खुल कर रख पाती है। पूजा का मानना है कि गांव कि लड़कियों का ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ाव होना आवश्यक है, क्योंकि गांव की लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती हैं और उनके आगे बढ़ने में अनेक रूकावट आती हैं। यदि ऐसे प्लेटफॉर्म से लड़कियों को जोड़ा जाता है तो लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और उनकी आवाज बुलंद होती है। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह आत्मनिर्भर बन पाती हैं।

चरखा द्वारा करवाए गए सत्र में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। आलेख लिख कर किस तरह वह अपनी आवाज को सभी तक पहुंचा सकती हैं यह उन्होंने जाना।

ग्रामीण लड़कियों की आजादी की डोर बनी फुटबॉल

पूजा गुर्जर



PHOTO: CHARKHA FEATURES

अजमेर में स्थापित महिला जन अधिकार समिति जो की एक संस्था है जो महिलाओं व किशोरियों पर काम करती है। महिला जन अधिकार समिति की स्थापना भी महिलाओं पर हिंसा व शिक्षा को लेकर हुई थी। इस संस्था के सदस्य जो अजमेर के आस पास के गांवों को इसमें जोड़ कर उस पर काम करते है। इसी संस्था के लोगों ने गांव में लड़कियों को फुटबॉल के जरिए आजादी दिलाने का पूरा प्रयास किया है। गांव में लड़कियों को फुटबॉल खिलाने की सुनकर गांव वाले भड़क उठे और कहने लगे कि लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती हैं। यह तो लड़कों का खेल है, लड़कियों का तो सिर्फ यही काम है कि चूल्हा चोका संभाले।

ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की उच्च शिक्षा का भी अभाव रहता है। उसे आठवीं या दसवीं पढ़ाकर स्कूल छोड़वा दिया जाता है और शादी कर दी जाती है। कोई लड़की यदि आगे तक पढ़ना चाहे और स्कूल गांव से दूर हो तो उसे नहीं भेजा जाता है। इस प्रकार ग्रामीण लोगों के ताने सुन कर भी इस संस्था के लोगों ने हार नहीं मानी और पूरी कोशिश व कठिनाइयों का सामना करके अजमेर के आसपास 4 गांव में 15 सितंबर 2016 को लड़कियों के लिए अपनी ओर से फुटबॉल का खेल शुरू किया। 4 गांव अजमेर से 30 से 40 किमी दूर है केकड़ी ब्लॉक स्थित हंसियावास, चचियावास, मीणो का नया गांव व साकरिया में इस खेल की शुरुआत की।

लड़कियों को फुटबॉल खिलाने की बात मानकर भी गांव के लोगों को उनके कपड़ों से भी समस्या थी कि लड़कियां जो गांव में कपड़े पहनती है वह कपड़े पहन कर ही फुटबॉल खेलेगी। इस प्रकार लड़कियों ने शुरुआत तो गांव के लोगों के अनुसार कर ली किंतु धीरे-धीरे इसमें भी परिवर्तन आया कि लड़कियां सलवार सूट में खेलते खेलते कहने लगी कि हम तो फुटबॉल किट में ही खेलेंगे चाहे हमें किसी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े। लड़कियां फुटबॉल के जरिए बाहर निकली। संस्था द्वारा अजमेर में कैंप लगाए गए जिसमें कोच फुटबॉल सिखाते हैं। लड़कियों का बाहर निकलना इतना रंग लाने लगा कि अब वह न केवल आवाज उठाने लगी हैं बल्कि अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों का उचित जवाब भी देने लगी हैं।

ऐसे ही धीरे-धीरे गांव के लोगों की आदत हो गई उन्हें खेलते देखकर। वह सोचने लगे कि यह लड़कियां अब रुकने वाली नहीं हैं। हमारे दबाये अब दबेगी नहीं। महिला जन अधिकार समिति के लोगों की मेहनत को देखकर ग्रामीण लड़कियां आगे बढ़ने लगी। जो लड़कियां गांव में सर झुका कर व गांव में रहन-सहन में ढली हुई थी वही अब सर उठाए बेझिझक रहने लगी और अपने अनुसार रहन-सहन ढालने लगी हैं। फुटबॉल ग्रामीण लड़कियों की जीवन में ऐसा महत्व रखने लगा जैसे कि सारी सांसे उसी में बसी है। पूरे मन से लड़कियां जब मैदान में खेलती हैं तो इस संस्था के लोगों को अपनी मेहनत का सही असर दिखाई पड़ा।



PHOTO: CHARKHA FEATURES

फुटबॉल खेलने के कारण लड़कियां उच्च शिक्षा ग्रहण करने लगी और अब वह पहले से दुगुना अंको से कक्षा में उत्तीर्ण होने लगी हैं। जिससे लड़कियों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला और उन्हें देखकर गांव की अन्य लड़कियां भी मेहनत करने लगी हैं। फुटबॉल खेल की शुरुआत में चारों गांव की लड़कियां मिलाकर पूरी 80 थी। जो बढ़कर दूसरे कैंप में 100 हुई। गांव में भी जैसे हंसियावास में शुरुआत में 30 लड़कियां थी वह बढ़कर अब 50 हैं और चाचियावास में जहां 20 थी वहां अब 40 हैं। इस प्रकार फुटबॉल लड़कियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अब और गावों की लड़कियां भी फुटबॉल खेलती हैं। फुटबॉल खेलते खेलते लड़कियों ने बाल विवाह पर भी आवाज उठाई।

अपनी स्वयं की शादी नहीं होने दी। संस्था के लोगों ने जो लड़कियों पर पूरी मेहनत की उसका असर गांव में देखने को मिला। पूरी फुटबॉल टीम जयपुर, नोएडा, लखनऊ आदि स्थानों पर खेलने गई हैं।

फुटबॉल से तीन लड़कियों का नेशनल स्तर पर भी चयन हुआ है और एक लड़की को ₹50000 छात्रवृत्ति भी दी गई। यह देखकर गांव के लोग भी अब इन लड़कियों का साथ देने लगे हैं। ग्रामीण लड़कियों ने मिलकर कहा कि हमें गौना नहीं, गोल चाहिए, शिक्षा चाहिए। इसका अर्थ यह है कि लड़कियां ससुराल नहीं जाना चाहती, उन्हें पढ़ाई करके अपने सपने या लक्ष्य को पूरा करना है। इस प्रकार गांव की बेटियां कठिनाइयों का सामना करके आगे की ओर बढ़ रही हैं। यह एक दिन अपना व अपने गांव का नाम रोशन करेंगी।



PHOTO: YUWA



सरोज कुमारी गुर्जर

देवखेड़ा, अजमेर



11 वीं कक्षा में पढ़ने वाली 18 वर्षीय सरोज गुर्जर गांव देवखेडा की रहने वाली है। सरोज महिला जन अधिकार समिति द्वारा चलाए जा रहे ग्रासरूट जर्नलिज़्म की छात्रा है। संस्था द्वारा गांव में जो किशोरी बैठक करवाई जाती है, सरोज भी उसकी सदस्या है और इसके जरिये ही वह संस्था से जुड़ी है। संस्था से जुड़ने के बाद सरोज का आत्मविश्वास बढ़ा और कुछ नया सीखने की जिज्ञासा जगी। बाहर आने जाने में झिझक दूर हुई और अपनी बात को लोगों के सामने रखने में बदलाव आया है। सरोज का मानना है कि सरकार द्वारा लड़कियों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई है लेकिन अधिकतर लड़कियां इसका लाभ नहीं उठा पाती है। इसलिए गांव की लड़कियों को उनकी समस्याओं के प्रति आवाज उठाने और जागरूक करने के लिए ऐसी संस्थाओं से जुड़ाव होना जरूरी है।

पानी है मगर नालियां नहीं

सरोज गुर्जर



PHOTO COURTESY: TIMESOFINDIA

अजमेर से करीब 77 किलोमीटर की दूरी पर बसा है गांव देवखेड़ा। यहाँ नाली नहीं है। गांव के बीचो बीच से होकर सड़क निकल रही है। यह सड़क रास्ता छोटा है पर सफर लंबा तय करता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सड़क है पर नाली नहीं है। जिसके कारण गंदा पानी सड़क पर बने गड्ढों में आ जाता है। गंदा पानी सड़क से गुजरता है जिससे लोगों को आने जाने में बहुत ही परेशानी होती है। मगर आजकल तो बहुत ही ज्यादा हो रही है। बारिश के कारण सड़क पर गड्ढे होने से बहुत बार कई बाइक चलाने वाले भी गिर जाते हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें भी दिक्कत होती है। बच्चों का कहना है कि जब हम स्कूल जाते हैं तो कीचड़ के कारण हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। उनका कहना है कि किसी और गांव की तरह हमारे गांव का भी विकास होना चाहिए।

नालियां नहीं होने से पानी सड़क पर ही रहता है जिसमें मच्छर, कीड़े, मक्खी भी रहते हैं। जिसके कारण हम गांव वासियों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। अगर हमारे गांव का विकास हो जाएगा, सड़क बन जाएगी, नालिया बन जाएगी तो लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कम समय में भी लंबे रास्ते पर चल सकते हैं। नाली नहीं होने के कारण बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए मेन रोड तक पहुंचने में दिक्कत होती क्योंकि सड़क पर कीचड़ रहता है। बारिश की वजह से खराब पानी रहता है। महिलाओं का कहना है कि गांव के बाहर टंकी है पानी की। पानी भरने आने जाने में भी दिक्कत होती है। पांव गंदे हो जाते हैं। जब हम पीने का पानी लाते तब कभी कभी गिर भी जाते हैं। गांव में घरों के अंदर नहा लेते हैं लेकिन कपड़े बाहर गांव के हैंड पंप पर धोने जाते हैं।

इस संबंध में पूजा गुर्जर का कहना है कि नालियां नहीं होने से कीचड़ सड़क पर रहता है। बारिश के समय तो बहुत मच्छर भी रहते हैं। हम पढ़ने जाते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। साइकिल भी सही नहीं चला पाते। बारिश के कारण पानी के साथ गंदा पानी भी तलाई में जाता है। तलाई का पानी सिर्फ जानवरों को पिलाने के काम आता है किसी भी काम में नहीं लिया जाता है। वहीं जय लाल गुर्जर कहना है कि सड़क है, लेकिन नालियां नहीं होने की परेशानी होती है। गंदा पानी सड़क पर ही रहता है। पानी बहुत दिनों जमे रहने के कारण मच्छर और अन्य कीड़े पैदा हो जाते हैं।

गन्दा पानी के कारण पैदल चलने में भी परेशानी होती है। जबकि अनु गुर्जर का कहना है कि नाले नहीं होने के से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सभी घरों का गंदा पानी सड़क पर ही रहता है। जिसमें कीटाणु पनपते हैं। उसी पानी में छोटे छोटे बच्चे भी खेलने लग जाते हैं जिसके कारण उन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

सड़क पर गड्ढे होने के कारण हर समय पानी भरा रहता है जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। **गांव के सरपंच का कहना है कि सड़क 2010 में बनी थी और मैं अपनी पंचायत के सारे काम करता हूं। देवखेड़ा में 2021 में अपने गांव का विकास करने में पूरी कोशिश करूंगा।**



Photo courtesy: The hindu



शम्भू देवी सेन

केकड़ी, अजमेर



42 वर्षीय शम्भू देवी सेन केकड़ी की रहने वाली हैं और वर्तमान में महिला जन अधिकार समिति में हिंसा व बच्चों के मुद्दों पर काम करती हैं। शम्भू देवी संस्था की गतिविधियों के बारे में अक्सर अखबार में पढ़ा करती थीं। उस समय उन्हें भी काम की जरूरत थी और वह संस्था से जुड़ीं। जुड़ने के बाद संस्था में ही उन्होंने कंप्यूटर चलाना सिखा। जिससे स्वयं उन्हें हिंदी टाइपिंग द्वारा रिपोर्ट तैयार और मेल करने में आसानी होती है। उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग में जुड़ने का मौका मिला जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। जिसके बाद वह अपने घर का खर्च सुचारू रूप से चला सकने में सक्षम हो सकी हैं। शम्भू देवी का मानना है कि ऐसी संस्थाएं गांव की लड़कियों के जीवन में बहुत बदलाव लाते हैं क्योंकि गांव में लड़कियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। संस्थाओं का सहयोग होने से लड़कियों को अपनी बात रखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है।

चरखा संस्था द्वारा जो प्रशिक्षण करवाया गया उसमें शम्भू देवी की यह सीख बनी कि लिखना और पढ़ना जरूरी है। लेखन के माध्यम से मुद्दों को समाज के हर व्यक्ति और मीडिया प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं।

लॉकडाउन के कारण किशोरियां बनी संक्रमण की शिकार

शंभू देवी सेन

अजमेर जिले में केकड़ी ब्लॉक के 35 गांव में, जो केकड़ी के 30 किलोमीटर के दायरे में बसे हुए हैं, लॉकडाउन के बाद जब किशोरियों के साथ मीटिंग में बातचीत की तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताईं। जिसमें मुख्य समस्या सेनेटरी पैड की निकल कर आई। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। पापा मम्मी जो काम पर जाते थे काम बंद हो गया। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया और घर का खर्च चलाने में भी बहुत दिक्कत आई।

लेकिन लॉक डाउन में यह सब संभव नहीं था। इन सब चीजों को बताते बताते लड़कियां भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। उनका कहना था कि सेनेटरी पैड नहीं मिलने के कारण हमको कपड़ा यूज करना पड़ा जो 5 साल पहले यूज करती थीं।



Photo courtesy: wateraid

जैसे घर में चाय 1 दिन में दो बार बनती थी सुबह और शाम, वह केवल एक टाइम हो गई। पैसे नहीं होने की वजह से घर का माहौल भी एकदम चिड़चिड़ा सा हो गया क्योंकि कुछ भी सामान लाने के लिए पापा को बोलते तो चिल्ला पड़ते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहते थे। इन मुश्किल परिस्थिति में सेनेटरी पैड खरीदना बहुत मुश्किल था। जिनके पास पैसे भी थे लेकिन बाहर आना जाना बंद होने की वजह से सेनेटरी पैड नहीं खरीद पाए क्योंकि हर गांव से कस्बे की दूरी 5 से 10 किलोमीटर है। साधन के अभाव के कारण आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। 2-3 गांव में आंगनबाड़ी से लड़कियों ने पैड खरीदे लेकिन उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पहले स्कूल जाती थी तब स्कूल से मिल जाते थे या दुकान से भी खरीद लेते थे।

उसी प्रक्रिया से वापस गुजरना पड़ा, जिस कारण बहुत सारी लड़कियों के इंफेक्शन हो गए क्योंकि गांव में अलग से नहाने के लिए बाथरूम नहीं है और लॉकडाउन में सारे लोग घर पर बैठे रहते थे। इस कारण उन्हें कपड़े को अच्छे से धोने का और सुखाने का समय ही नहीं मिलता था। इस कारण कपड़े में रह जाती थी। एक ही कपड़े को 8 से 10 घंटे यूज करने से उनके जननांगों में खुजली की शिकायत हो गई और जांघे छिल गईं क्योंकि पानी भरने उनको बाहर पैदल जाना पड़ता था।

उनको चलने में भी बहुत दिक्कत आती थी, इसी स्थिति में घर के अन्य काम भी करती थी। इन सब बातों को किसी से शेयर भी नहीं कर पाई जिस कारण वह बहुत मानसिक टेंशन से भी गुजरी।

इन सब समस्याओं को संस्था के मासिक मीटिंग में रखा क्योंकि महिला जन अधिकार समिति केकड़ी ब्लॉक के 35 गांव में किशोरियों के साथ काम करती है। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संस्था डायरेक्टर ने तुरंत निर्णय लेकर इन गांवों की किशोरियों को चार चार महीने के सेनेटरी पैड वितरण किए गए जिसमें 4 पैकेट यूज एंड थ्रो वाले सेनेटरी पैड थे और दो सेनेटरी पैड वाशेबल थे। इस पैड की क्वालिटी अच्छी थी क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब लड़कियां जल्दी से पैड को चेंज नहीं कर पाती है तो इस पैड को एक समय में 12 घंटे तक भी यूज कर सकती थीं। मानसिक टेन्शन के कारण लड़कियां कमजोर हो गई थीं और उनका वजन कम हो गया था। दूसरे मीटिंग में एएनएम के साथ मिलकर उनके हिमोग्लोबिन की जांच करवाई गई क्योंकि लॉक डाउन में लड़कियों को आयरन की टेबलेट भी नहीं मिली थी। लड़कियां कुपोषित हो गई थीं। संस्था द्वारा लड़कियों को खाद्य किट वितरण किए गए जिसमें चना दाल, चावल, गुड, दलिया, चाय एवं चीनी के साथ 10 किलो आटा भी दिया गया।



Photo courtesy: Sundarini Organic



शहनाज़ शेख

अजमेर, राजस्थान



अजमेर में रहने वाली 24 वर्षीय शहनाज़ 10 वीं कक्षा की स्वाध्यायी छात्रा है। शहनाज़ कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से संस्था से जुड़ी और अभी पत्रकारिता के कोर्स की छात्रा है। संस्था से जुड़ने के बाद शहनाज़ को अकेले बाहर आने जाने की हिम्मत मिली। उन्हें अपनी बातों को खुलकर लोगों के सामने रखने का मौका मिला। शहनाज़ का मानना है कि गांव की लड़कियां अपनी डर को भूल कर बाहर निकले और अपनी खूबियों से अपनी पहचान बनाकर आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए ऐसी संस्थाओं से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है।

हमारे समाज की बेटियां सुरक्षित कब होंगी?

शहनाज़ शेख



PHOTO COURTESY: THE WASHINGTON POST

क्या सिर्फ नई योजनाएं चलाने से हमारे समाज की बेटियां सुरक्षित रहेंगी? क्या सिर्फ बेटियों को देवी का रूप कह लेने से क्या हमारे समाज की बेटियां सुरक्षित रहेंगी? हमारे समाज में बेटियों के साथ कई अत्याचार किए जाते हैं। बेटियों का बाल विवाह कर दिया जाता है। उनको कम पढ़ाया लिखाया जाता है। बेटियों को शुरू से ही घर का काम सिखाया जाता है। उसके दिल में शुरू से ही यह बात डाल दी जाती है कि तुझे अगले घर जाना है और बस यही कहा जाता है कि तू घर संभाल इसके अलावा और कुछ नहीं। ना ही बेटियों को अकेले बाहर जाने दिया जाता है न ही वह अपने मर्जी का कुछ कर सकती हैं। वह अपने मर्जी से पढ़ाई नहीं कर सकती है। न अपने मर्जी से कपड़े पहन सकती हैं। न ही अपने मर्जी से शादी कर सकती हैं। न ही अपने मर्जी से अपने जीवन साथी चुन सकती हैं।

हमारे समाज को खुद की सोच बदलने की जरूरत है। हमें अपनी सोच बदलने की बहुत ही जरूरत है। आज कई जगह ससुराल में लड़कियों के साथ अत्याचार किया जाता है। लड़कियों से दहेज मांगा जाता है। दहेज न देने पर लड़कियों को मारा जाता है। उनको घर से निकाल दिया जाता है। जब बेटी अपने मां.बाप के घर रहती है तो उसको यह कहा जाता है कि तुझे पराए घर जाना है और जब वह पराए घर जाती है तो उसे यह कहा जाता है कि तू तो पराई घर से आई है। क्या उसका कोई अपना घर नहीं होता? क्या उसकी कोई अपनी पहचान नहीं होती है? क्या वह पढ़ लिख नहीं सकती है? क्या वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती है? हमारे समाज में क्यों बेटियों पर इतना अत्याचार किया जाता है? अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है तब हमारा समाज गलत उस लड़की को ही कहता है? क्या यह हमारा समाज है?

हमारे समाज को जरूरत है बेटी के प्रति अपनी सोच बदलने की। जब एक बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है तो उसे इस सदमे से उबरने में कई साल लग जाते हैं। जिससे लोगों का दिल और खुल जाता है उनका डर निकल जाता है। जिससे वह लड़कियों के साथ कुछ भी करने की सोच लेते हैं। अपराधी को जल्दी सजा नहीं मिलती है। यहां तक कि लड़कियां आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं। या उसके घरवाले ही उसको मार देते हैं। बेटियों के प्रति हमारी सोच बदलनी है। जिस तरह एक लड़का अपने मां बाप का, अपने खानदान का नाम रोशन करता है उसी तरीके से एक बेटी भी अपने पूरे खानदान का, अपने पूरे परिवार का, अपने मां बाप का नाम रोशन कर सकती है। बेटी भी पढ़ लिख कर कामयाब हो सकती है। बेटी भी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सकती है। बेटी अपना हक मांग सकती है। बेटी खुद के लिए लड़ाई कर सकती है। एक बेटी भी अकेले बाहर जा सकती है। एक बेटी भी बेटे की तरह छोटे कपड़े पहन सकती है। कोई भी बेटी कामयाब तभी हो सकती है जब उसका समाज उसके साथ रहेगा। हमें बेटियों को जागरूक करना है। हमें उसको वह जानकारी देनी है जो उसको आज तक पता नहीं है। हमारी सोच तब बदलेगी जब यह सब अत्याचार हम बेटियों पर नहीं होने देंगे।

हमें अपनी सोच बदलनी है। जिस तरह लड़के होते हैं उसी तरह लड़कियां भी होती हैं। जिस तरह लड़कों का खुद का अपना घर होता है उसी तरह लड़कियों का भी अपना एक घर होता है। लड़कों की तरह लड़कियों की भी एक तो खुद की पहचान होती है। जब हम बदलेंगे तब देश बदलेगा। पहले हमें खुद की सोच बदलनी है, उसके बाद हमारे देश की सोच बदलेगी। एक बेटी ही पूरे खानदान को साथ लेकर चलती है। एक बेटी होती है जो वंश को आगे बढ़ाती है। एक बेटी होती है जिसे अपने मां बाप से बहुत ही प्रेम होता है। एक बहू भी किसी की बेटी होती है। जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो उसको कचरे में फेंक दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। लेकिन जब एक बेटा पैदा होता है जब वह बेटा बड़ा हो जाता है तो वही परिवार वाले उसके लिए खूबसूरत बहू तलाश करते हैं। पहले एक बेटी को मार देते हैं और फिर अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत बहू ढूंढते हैं। क्या वे यह भूल जाते हैं कि वह बहू भी एक बेटी है। बहू ही एक बेटी है जो खानदान को आगे बढ़ाती है। क्यों भूल जाते हैं कि बेटी है तो दुनिया है।

" बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ "



शुभांगनी सूर्यवंशी

केकड़ी, अजमेर



शुभांगनी सूर्यवंशी केकड़ी, अजमेर की रहने वाली है और बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा है। इनका महिला जन अधिकार समिति से पिछले 2 वर्षों से जुड़ाव है। महिला जन अधिकार समिति द्वारा ग्रामीण लड़कियों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने और सशक्त बनाने के लिए अजमेर और केकड़ी में टेक सेंटर खोले गए हैं। जहां पर कई लड़कियां कंप्यूटर सीखने के लिए आती हैं। वही पर शुभांगनी भी कंप्यूटर सीखती हैं और समिति के प्रत्येक गतिविधियों में अपनी भूमिका ज़िम्मेदारी के साथ निभाती हैं। समिति से जुड़ने के बाद उनका नजरिया बदला है।

वर्तमान में वह समिति द्वारा चलाए जा रहे पत्रकारिता कोर्स की छात्रा हैं। इसी के साथ वह चरखा की कार्यशाला का भी हिस्सा रह चुकी हैं। कार्यशाला में कई रोचक जानकारियों के साथ बहुत से नई चीजें सीखने को मिली। शुभांगनी की यह सोच है “महिला जन अधिकार समिति और चरखा जैसे प्लेटफार्म से लड़कियों का जुड़ाव होना जरूरी है क्योंकि लड़कियां आगे बढ़ना तो चाहती हैं, परंतु उन्हें सही सुझाव और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है जिसके कारण वह उसी माहौल में दब कर रह जाती हैं और उभर नहीं पाती हैं।”

जरूरत को जरूरत ही रहने दें, आदत न बनायें

शुभांगनी सूर्यवंशी



PHOTO COURTESY: ECONOMIC TIMES

आज के इस युग में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के नशे का शिकार है। जिसमें एक नाम शराब है। शराब अरबी भाषा का शब्द है जो शर अर्थात् बुरा और आब मतलब पानी के मिलने से बना है जिसका अर्थ है. बुरा पानी। नाम के अनुरूप इसके असर से पूरा विश्व अछूता नहीं रहा। इस तरह के नशे के सेवन को युवा पीढ़ी की वजह से ज्यादा बढ़ावा मिलता है क्योंकि यही आयु है जो लोगों को अच्छे या बुरे काम के लिए आकर्षित करता है। अधिकतर युवा ही अलग अलग तरह की नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं और दूसरों को भी इसका सेवन करने के लिए मजबूर करते हैं। लोगों का कहना है कि शराब एक दवा है जो थकान दूर करती है। चलो मान लिया शराब एक दवा है। डॉक्टर हमें जो दवाई देते हैं उसकी समय और मात्रा निर्धारित होती है और हम भी उसका उसी समय और उतनी ही मात्रा में उपयोग करते हैं जितनी हमें उसकी जरूरत होती है न कि उससे ज्यादा। तो शराब का क्यों नहीं?

आज हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां आदमियों के सुबह की शुरुआत शराब से होती है और शाम भी शराब के नाम होता है। वह इसे पीने में अपनी शान समझते हैं और आप खुद भी देखेंगे कि आपके आसपास शराब का सेवन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे समाज में शराब और इसका सेवन करने वालों ने अपना राज जमा रखा है। शराब का सेवन किस हद तक अपने दुष्परिणाम दिखा सकता है यह किसी से भी छिपा नहीं है। फिर चाहे वह समाज हो, सरकार हो या फिर खुद इसका सेवन करने वाला। लेकिन फिर भी लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं और अपने जीवन में इसे अधिक महत्व देते हैं। शराब न सिर्फ इसका सेवन करने वालों का नाश करता है बल्कि कलंक का एक रूप भी माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से न जाने कितने परिवार उजड़ते हैं और कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं लेकिन इसके बावजूद सरकार इसे लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती है।

जब लॉकडाउन में सारे व्यवसाय बंद पड़े थे, तब भी कई जगहों में शराब के ठेके खुले रहे और शराब एक दवा के रूप में बिका। लोग बीमार होने पर अस्पताल जाने की बजाय शराब के ठेके पर जाते और दवाई की जगह शराब खरीद कर उसका सेवन करते रहे। यदि उन्हें कोई टोकता तो उनसे यह जवाब सुनने को मिलता कि अभी यही एकमात्र है जो हमें कोरोना जैसी बीमारी से बचायेगा। इस तरह लॉकडाउन में शराब का सेवन जारी रखने के लिए अंधविश्वास का सहारा लिया गया लेकिन इस पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लॉकडाउन में काम तो बंद थे, जिसके कारण आय नहीं हो पा रही थी। घर पर आनाज भी उधारी से लाते थे। ऐसे में घर में खाने के लिए अनाज हो या न हो, थोड़ा बहुत जो था उसे बेचकर शराब पीना नहीं भूलते थे। फिर चाहे भले ही बच्चे भूखे ही क्यों न रह जाएँ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पत्नी है न लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि महिलाएं नशा नहीं करती हैं। यदि मर्द कहीं पर भी शराब पीकर पड़ा है तो कोई बात नहीं। अगर कोई महिला इस तरह की हरकत करती है तो समाज उस पर थू थू करता है। उसे गिरी हुई महिला और न जाने कितने नाम दिए जाते हैं। पति पीकर अपनी पत्नी को मारता है, गाली देता है और वह चुपचाप सहती है तो समाज के लिए वह एक बेचारी और अच्छी नारी है।

कोई भी अवसर हो, चाहे उत्सव हो या फिर जन्मदिन या शादी-विवाह। यहां तक कि किसी तरह का मिलन समारोह भी शराब के बिना अधूरा समझा जाता है। खास बात तो यह है कि आप शराब का सेवन नहीं करते तो आप उस समूह में होकर भी एकदम अकेले हो जाते हैं। जो कई बार आपको खुद शर्मनाक लगता है लेकिन इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शराब पीने या नशा करने के बाद मनुष्य को अच्छे और बुरे का होश नहीं रहता है। नशा करने वाला व्यक्ति अपने साथ साथ अपने परिवार और दोस्तों के लिए परेशानी का कारण बनता है। शराब की आदत से कई बार मनुष्य अपना सब कुछ खो बैठता है।

औसतन हर साल शराब के भार 15 से 20 प्रतिशत तो बढ़ते ही हैं। लेकिन इसके बावजूद शराब की खपत भी बढ़ती जाती है। इतिहास में एक भी ऐसा जुलूस दर्ज नहीं है जिसमें शराब के खरीदारों ने डीएम को ज्ञापन दिया हो कि शराब और दारु के दाम कम किये जाएँ। आखिर शराब खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं, ज़ाहिर है कि एक शराबी अपने बच्चों के हिस्से से अपने लिए शराब खरीदता होगा, उन्हें भूखा सुला कर खुद शराब पीता होगा।

भारत विश्व में शराब के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। माना जाता है कि पूरी दुनिया में जितनी शराब बनती है उसके पांचवें हिस्से की भारत में ही खपत हो जाती है। अनुमान है कि 2019 में भारत में 6.23 अरब लीटर शराब की खपत हुई थी और 2022 तक यह आंकड़ा 16 अरब लीटर को भी पार कर लेगा। शराब की बिक्री से सरकारों की खूब कमाई भी होती है। भारत में शराब की खपत और इसका सेवन करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। पीने वालों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है और कई तो इसकी लती बन चुकी हैं। फिलहाल देश में लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)

के एक साझा सर्वेक्षण में इसका पता चला है कि छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश व गोवा में शराब पीने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। शराब के सेवन करने वालों को लिवर, स्तन एवं गले का कैंसर, दिमागी कमजोरी, नपुंसकता का खतरा और हृदय रोग जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं।

यह जानते हुए भी लोग इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं और इसके लिए भोजन, पानी यहां तक कि परिवार को भी त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। वह यह नहीं समझते हैं कि मरने के बाद लोगों को चार कन्धों की जरूरत पड़ती है। शराब के बोतल की नहीं।



PHOTO COURTESY: INDIATODAY



शीला बैरवा

मेवदा कॉलोनी
अजमेर, राजस्थान



18 वर्षीय शीला बैरवा मेवदा कॉलोनी की रहने वाली हैं और 12 वीं कक्षा की छात्रा हैं। महिला जन अधिकार समिति द्वारा गाँव में किशोरी बैठक की जाती है, इसी मंच के जरिये वह संस्था से जुड़ी और अब पत्रकारिता कोर्स की हिस्सा हैं। संस्था से जुड़ने के बाद उनका अकेले बाहर आने जाने में जो झिझक थी, वह दूर हो गई और अब शीला अपने आप को निडर महसूस करती है। शीला की सोच है कि ज्यादातर लड़कियां अपनी बातों को किसी से साझा नहीं कर पाती हैं और न ही उन्हें अपने आप से जुड़ी जानकारी के बारे पता होता है। इसलिए गांव की हर लड़कियों के साथ ऐसी संस्था का जुड़ाव होना जरूरी है।

चरखा संस्था द्वारा वर्कशॉप करवाया गया। उससे शीला को यह जानकारी मिली कि गांव के मुद्दों को किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है? ज्यादातर अखबार में शहर के मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है जिससे गांव की समस्या दब कर रह जाती है। इसलिए शीला अपने आसपास की घटनाओं को आलेख के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेगी।

महिला एक मशीन की तरह

शीला बैरवा



PHOTO COURTESY: MEDIAINDIAGROUP

महिला एक मशीन की तरह है, जिसे पूरे दिन काम करना पड़ता है। जब वह छोटी सी होती है तब से ही उसे घर का काम करवाना शुरू कर दिया जाता है। खेलने और पढ़ने की उम्र में उसे घर का काम सीखा दिया जाता है। झाड़ू, पोछा करना, खाना बनाना सब उससे कराया जाता है। वह सुबह उठ कर घर का काम करने लग जाती है। सुबह से लेकर शाम तक उसे घर का काम करना पड़ता है। लड़कियों की छोटी उम्र में ही शादी करवा दी जाती है, इस कारण उसके भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उसकी पढाई पूरी नहीं हो पाती है और उसको ससुराल भेज दिया जाता है। कम उम्र में ही वह माँ बन जाती है जिससे माँ और बच्चे दोनों की स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे बच्चा कुपोषित रह जाता है।

एक महिला को ही सब कुछ संभालना पड़ता है। घर, खेत, जानवरों का चारा, खोदना, काटना आदि सभी काम महिलाएं ही करती हैं। लेकिन फसल को बेचने पुरुष जाता है और उससे होने वाली आमदनी वह खुद रख लेता है। महिलाओं के काम को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। पूरे दिन काम करने के बाद भी उसे यही ताना दिया जाता है कि वह सुबह से कोई काम नहीं करती है। बस इधर उधर की बातें कर के समय बर्बाद करती है।

सवाल यह उठता है कि क्या महिलाओं को जीवन भर काम करने और ताना सुनते रहना होगा? क्यों उसके अस्तित्व पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है? उसे भी कुछ कर दिखाने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं को मिल कर आगे बढ़ना होगा। तभी उसका समाज में महत्व होगा। ***



प्रियंका मीणा

मीणों का नया गांव
अजमेर, राजस्थान



प्रियंका मीणा, मीणों के नया गांव केकड़ी की रहने वाली है। महिला जन अधिकार समिति से जुड़ाव पत्रकारिता कोर्स के जरिए हुआ। ग्रामीण लड़कियों को सशक्त और जागरूक बनाने के लिए समिति द्वारा ग्रासरूट पत्रकारिता कोर्स चलाया जा रहा है। उसी कोर्स का हिस्सा प्रियंका भी है। समिति से जुड़ाव के बाद इनमें कई बदलाव आए हैं। अब यह बेझिझक, बिना डरे सबके सामने अपनी बात है। घर के निर्णयों में इनकी भी भागीदारी रहती है। प्रियंका के अनुसार महिला जन अधिकार समिति और चरखा जैसे प्लेटफार्म से लड़कियों का जुड़ाव जरूरी है क्योंकि ऐसी संस्थाएं लड़कियों के हितों के लिए काम करती हैं और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई प्रोग्राम भी चलाती हैं। जिनके माध्यम से लड़कियां घरों से बाहर निकल पाती हैं।

चरखा द्वारा ली गई वर्कशॉप से प्रियंका को बहुत सी नई जानकारियां मिली, जिनके उपयोग से वह अपने गांव के मुद्दों और परेशानियों को उजागर कर सकती हैं।

पानी की समस्या

प्रियंका मीणा



PHOTO COURTESY: GETTY IMAGES

हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है और हमारे गांव में नल भी एक या दो ही थे। हमारा गांव बहुत बड़ा है। पानी के लिए महिलाएं रोज़ाना झगड़ा करती थीं कि मेरा काम ज़्यादा है, मैं पहले पानी भरूंगी। फिर महिलाओं और पुरुषों ने जाकर सरपंच से कहा कि नल लगवाये। ऐसे कब तक रहेंगे? सरपंच भी उन्हें आश्वासन देता था कि नल ज़रूर लगेगा। वह पूछता था कि नल कहाँ लगवानी है? लोग उसे जगह भी बता देते थे, लेकिन उसके बाद भी वह नल नहीं लगा रहा है। महिलाएं रोज़ पानी भरने के लिए झगड़ा करती हैं। मगर सरपंच कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

हालाँकि मुहल्ले वालों ने आपस में चंदा करके नल लगवाया मगर उस को बीच में ही रुकवा दिया गया। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया था, उन्होंने ही नल को अपनी तरफ़ लगवा लिया। जिस बात पर भी काफी लड़ाई हुई।

इस लड़ाई में गांव के एक पुरुष को काफी पत्थर भी लगा। इसके बाद चंदा नहीं देने वालों की तरफ़ नल लगाने का काम तो रुक गया, परंतु एक ही नल होने के कारण अभी भी गांव वालों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त उसी एक नल पर महिलाएं न केवल पानी भरती हैं बल्कि वहीं पर कपड़े धोने, बच्चों को और स्वयं नहाने का काम करने लगी हैं, जिससे आसपास काफी अधिक मात्रा में पानी जमा हो जाता है, जिससे नल के पास कीचड़ हो गया है। महिलाओं को नहाने और कपड़े धोने से रोकने पर वह लोगों से लड़ने लगती हैं। साक्षरता और साफ़ सफ़ाई की जागरूकता की कमी के कारण महिलाएं स्वयं उस स्थान को गंदा कर रही हैं। जिससे अन्य लोगों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि एक बार जब मैं भी उन्हें समझाने गई थी तो वह मुझसे भी लड़ने लगी।

ऐसा वह केवल जागरूकता की कमी के कारण कर रही हैं। कीचड़ और गंदगी बढ़ता देख एक बार फिर गांव वाले सरपंच के पास गए और उन्हें नल लगवाने की याद दिलाई, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सरपंच ने सरकारी नियमों का हवाला देकर गांव वालों को टाल गया। लेकिन पंचायत चुनाव में गांव वालों ने भी उसको हरा कर सबक सिखा दिया। नए सरपंच से चुनाव के दौरान ही गांव वालों ने नल लगवाने का वादा लिया था। जिसे उन्होंने चुनाव जीतने के बाद पूरा किया। अब हमारे क्षेत्र में दो दो नल हो गए हैं, लेकिन आबादी के अनुपात में यह दो नल भी कम पड़ते जा रहे हैं।



PHOTO COURTESY: REUTERS



टीना कुमावत

रूप निवास, केकड़ी
अजमेर



टीना कुमावत केकड़ी के रूप निवास गांव की हैं, वह अभी आर्ट्स विषय से 11 वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं। महिला जन अधिकार समिति से इनका जुड़ाव पत्रकारिता के कोर्स के माध्यम से हुआ। टीना जानना चाहती थी कि पत्रकार कैसे काम करते हैं? वह जीवन में कुछ नया सीखने के लिए भी उत्सुक थी। इसलिए वह इस कोर्स से जुड़ गई। समिति से जुड़ने के पहले टीना सारा समय घर पर रहती थी और केवल घर के काम करके अपने दिन को व्यतीत करती थी, परंतु अब वह समिति से जुड़ने के बाद घर से बाहर पढ़ने के लिए और खेलने जाती है। उनके घर वाले भी उन्हें मना नहीं करते हैं। अभी के समय में जब टीना पत्रकारिता कोर्स की छात्रा हैं, वह बताती हैं कि सभी लड़कियों को ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गांव में लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं। तो यदि ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे तो लड़कियों की समस्याओं को सब के सामने लाया जा सकेगा और उन पर बात की जा सकेगी। इसलिए जहां तक हो सके ग्रामीण क्षेत्रों की सभी लड़कियों का ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ने चाहिए।

चरखा द्वारा करवाए गए वर्कशॉप में टीना का अनुभव रहा कि इस प्रकार के वर्कशॉप से जानकारी बढ़ती है? समस्याओं को सभी के सामने लिखकर अपनी आवाज कैसे उठानी चाहिए?

बाल विवाह

टीना कुमावत

बाल विवाह केवल भारत में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में होते आये हैं और समूचे विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान है। सम्पूर्ण भारत में विश्व के 40 प्रतिशत बाल विवाह होते हैं। समूचे भारत में 49 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है। भारत में बाल विवाह केरल राज्य, जो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, में अब भी प्रचलन में है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से अधिक बाल विवाह होते हैं। यह सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि वह भारत जो अपने आप में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, उसमें आज भी एक ऐसी कुरीति जिंदा है। एक ऐसी कुरीति जिसमें दो अपरिपक्व लोगों को जो आपस में बिल्कुल अन्जान हैं उन्हें ज़बरन जिंदगी भर साथ रहने के एक बंधन में बांध दिया जाता है और वह दो अपरिपक्व बालक शायद पूरी जिंदगी भर इस कुरीति से उनके ऊपर हुए अत्याचार से उभर नहीं पाते हैं और बाद में स्थितियां बिल्कुल खराब हो जाती हैं।

ग्रामीण या नगरीय क्षेत्रों में किसी लड़की या लड़के की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले करने को बाल विवाह कहते हैं। विवाह के वक्त लड़के की आयु 21 साल और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

इससे कम आयु पर विवाह होने पर सम्बन्धित लोगों को दण्डित किया जाना चाहिए। वास्तव में बाल विवाह बचपन खत्म कर देता है। हँसते गाते अरमानों को कुचल देता है। बाल विवाह एक अभिशाप है।

बाल विवाह गुलामी की जंजीर है। बेटे के जन्म पर माँ बाप बहुत खुश होते हैं और बेटी के जन्म पर अफसोस करते हैं। छोटी उम्र में ही लड़की की शादी करके उसके नन्हें बचपन को कुचलकर रख देते हैं। लड़कियों से ज्यादातर घर का कामकाज करवाया जाता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का कहना होता है कि लड़कियों को ससुराल में जाकर घर का काम व खेत ही खोदना होता है। इसलिए लड़कियों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता है। लड़कियों को पढ़ाई न करवाकर 18 वर्ष की आयु से पहले ही ससुराल भेज दिया जाता है। हमें बंधन में नहीं बंधना है। आगे पढ़ना है और बढ़ना है।



Photo: Reuters

बाल विवाह के पारिवारिक कारण - भारत की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ घर के बुजुर्ग चाहते हैं कि उनके जीवित रहते पोता पोती का विवाह हो जाए। इसलिए भी कई बार समाज में 18 वर्ष से पूर्व लड़के लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता है। समाज में बेटी के चरित्र के बारे में माँ बाप को चिंता सताती रहती है क्योंकि आए दिन कोई न कोई ऐसी घटना सुनने को मिलती है जिससे वो परेशान हो जाते हैं। बहुत सी लड़कियाँ प्रेम प्रसंग के कारण दूसरी जातियों के लड़के के साथ भाग जाती हैं। इस तरह की घटनाओं से विचलित होकर माँ बाप 18 वर्ष से पहले ही अपनी लड़कियों का विवाह कर देते हैं।

गरीबी के कारण बाल विवाह - बाल विवाह के लिए गरीबी भी मुख्य कारण है। बहुत से गरीब लोग अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पाते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वह अपनी लड़कियाँ को अच्छा भविष्य दे सकें। इसीलिए वह जल्दी से विवाह करके अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके कारण लड़कियों का कम आयु में माँ बनना। यह बाल विवाह का सबसे बुरा नुकसान है। बाल विवाह के कारण लड़कियाँ कम आयु में गर्भवती हो जाती हैं जबकि उनके शरीर का पूरी तरह मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। प्रसव के दौरान बहुत कम आयु की लड़कियों की अकाल मृत्यु तक हो जाती है।

बाल विवाह को रोकने के उपाय - लड़कियों को शिक्षित करना, इस कुप्रथा को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है। जब लड़कियाँ शिक्षित होने लगेंगी तो वह स्वयं ही बाल विवाह की बुराई को ठुकरा देंगी। अंत में लड़कियों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रथा को समाप्त करने का दूसरा अहम उपाय समाज में जागरूकता पैदा करना है। रंगमंच, नुक्कड़ नाटको आदि के द्वारा इस कुप्रथा के दुष्परिणाम का प्रदर्शन भी समाज में जागरूकता लाने में अहम योगदान निभाता है। इसके अतिरिक्त गरीब व निम्न जातियों को सरकार द्वारा विशेष सहायता राशि के प्रावधान रखने चाहिये क्योंकि ये कुप्रथा इस वर्ग के लोगों में अधिकतर व्याप्त है। सरकार द्वारा इन जातियों के लोगों की मदद के रूप में इस प्रकार की योजनाएं शुरू करनी चाहिए, जिससे बेटी का विवाह उसके योग्य होने पर ही करने पर अर्थिक सहायता व रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेगा।



Photo: flickr



कामिनी कुमारी

अजमेर, राजस्थान



कामिनी कुमारी अजमेर से हैं। वह बीटेक ग्रेजुएट हैं और वर्तमान समय में महिला जन अधिकार समिति द्वारा चलाए जा रहे कंप्यूटर सेंटर में प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, इसके साथ ही वह ग्रासरूट्स पत्रकारिता कोर्स को कार्डिनेट करती हैं तथा उसकी सहभागी भी हैं। कामिनी की माताजी समिति में चल रही गतिविधियों में निरंतर जुड़ती रहती थी इसके चलते कामिनी का रुझान समिति में चल रहे लड़कियों और महिलाओं के विकास के कार्यक्रम की ओर हुआ और वह कम्प्यूटर सेंटर से जुड़ गयी। वह चाहती हैं कि वह भी लड़कियों और महिलाओं के विकास के कार्यों में जुड़ी रहे और लड़कियों को भविष्य को सशक्त बनाने में योगदान दे सकें। समिति से जुड़ने के बाद कामिनी की सामाजिक मुद्दों पर समझ बनी है और वह लड़कियों की परेशानियाँ को समझ पाने में सक्षम हुई हैं। वह कम्प्यूटर सेंटर में आने वाली सभी लड़कियों से निरंतर किसी ना किसी सामाजिक मुद्दे पर बात बातचीत करके उनकी समझ को विकसित करने का कार्य भी करती हैं। उनका कहना है कि गांव की लड़कियों को ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते हैं, यदि किसी को मौका मिलता भी है तो वह उसका पूर्ण रूप से फायदा नहीं ले पाती हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म से लड़कियों का जुड़ाव होगा तो वह सशक्त बनेगी। चरखा वर्कशॉप उन्होंने जाना कि ग्रामीण लेखन किस प्रकार का होता है और लेखन में किसी सामाजिक मुद्दे को लिख कर किस प्रकार से बदलाव लाया जा सकता है।

वर्तमान उन्नत तकनीक काल में भी अंधविश्वास

कामिनी कुमारी



PHOTO COURTESY: GOOGLE IMAGES

युगों युगों तक बढ़ती जाए, दुनिया आगे बढ़ती जाए, कुछ बढ़ रही है विज्ञान से, वेदों से और शिक्षा से, तो कुछ अटकी भी हुई हैं पीढ़ी सदियों अंधविश्वास की पुरानी रूढ़ियों से। विश्वास, जिस पर पूरी दुनिया कायम है और आगे बढ़ रही है वहीं इसके विपरीत किसी चीज पर तर्कहीन, विवेकहीन, बुद्धिहीन रूप से आँखें बंद करके विश्वास करना कहलाता है अंधविश्वास। अंधविश्वास इस प्रगतिशील दुनिया में दीमक की तरह बढ़ कर इसकी प्रगति को सदियों पीछे ले जा रहा है और लोगों के विकास में बाधा बनने के साथ ये हिंसक रूप से हैवानियत में तब्दील हो रहा है और अपनी जड़ें दिन पर दिन मजबूत करता जा रहा है। 21वीं सदी के दौर में आज भी लोग इसे मानते आ रहे हैं जैसे बिल्ली द्वारा रास्ता काटने पर रुक जाना, छीकने पर काम का न बनना, उल्लू का घर की छत पर बैठने को अशुभ मानना, बायीं आँख फड़कने पर अशुभ समझना, नदी में सिक्का फेंकना

ऐसी अनेक धारणाएं आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और लोग इन पर इस तरीके से भरोसा कर लेते हैं कि किसी और चीज या विज्ञान को नहीं देख पाते हैं। हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। ऐसे में जब भी परेशान लोगों को कोई उपाय का लालच देता है तो लोग ऐसे अंधविश्वास और जादू टोना करने वाले लोगों के चक्कर में आ जाते हैं। इन बाबाओं और तांत्रिकों के पोस्टर कहीं बस, ट्रेन, सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर चिपके हुए मिलते हैं क्योंकि इन बाबाओं और तांत्रिकों ने भी लोगों को समझकर जैसे उनकी नस पकड़ रखी हो और कुछ काम करके खूब पैसा कमाने लगे हुए हैं और लोग इसे कुछ इस तरीके के काम करवाने के लिए आते हैं जैसे मनचाहा, प्यार मिलना, मनचाही शादी करवाने के लिए जादू, पारिवारिक कलेश, झगड़ा खत्म करने के लिए कुछ टोटका, मनचाही नौकरी, दुश्मन का नाश, नौकरी में ट्रांसफर प्रमोशन के लिए, संतान पैदा करवाने के लिए या बांझपन को खत्म करने के लिए, मुकदमे का निपटारा,

विदेश में नौकरी, बीमारी ठीक करने के लिए, दुःख, कष्ट दूर करने के लिए, अचानक से धन पाने के लिए, वशीकरण, बिजनेस, व्यापार में तरक्की आदि। इन सब कामों को करवाने वाले बाबा या तांत्रिक सड़कों पर या कहीं मेलों में या धार्मिक स्थलों के आसपास दिखाई देते हैं।

रोजमर्रा की ऐसी तमाम समस्याओं को हल करने के लिए लोग साधु, तांत्रिकों, बाबाओ, पाखंडियों के जाल में फंस जाते हैं। कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं और जल्द से जल्द समस्या का हल चाहते हैं। अंधविश्वास का शिकार अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों ही हो रहे हैं और यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के कुछ युवा भी इसमें शामिल हो रहे हैं। दिन पर दिन अंधविश्वास के कई बड़े हिंसक मामले सामने आते जा रहे हैं जैसे कि जब किसी की तबियत खराब होती है तो उसे डॉक्टर के पास दिखाने के बजाय किसी बाबा तांत्रिक के पास उसका इलाज करवाया जाता है जिसके कारण बीमारी घातक रूप ले लेती है और इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि लोग पैसों के लिए अस्पताल में इलाज नहीं करवाते हैं कभी-कभी सक्षम लोग भी अस्पताल में इलाज करवाने के बजाय इस तरीके के अंधविश्वास में पड़कर अपने शरीर का नुकसान करा बैठते हैं। अधिकतर औरतें अपने परिवार जन के दबाव में संतान पाने के लिए बाबाओं के चक्कर लगाती हैं। ऐसे बाबा तांत्रिक औरतों से पैसे तो वसूलते ही हैं पर कई बार उन औरतों की इज्जत पर भी खतरा उठ जाता है। ऐसे लोग हमारे मन में भय पैदा करके अनुचित लाभ उठाते हैं।

आज भी देश में अनेक औरतों को डायन बताकर मार दिया जाता है। वर्ष 2017 में उत्तर भारत के अनेक राज्यों में महिलाओं की चोटी कटने की अनेक खबरे आईं। अनेक महिलाओं ने इसे किसी शैतान, भूत, प्रेत का काम बताया। जबकि डॉक्टरों ने इसे मनोवैज्ञानिक बाधा बताई।

2017 में राजस्थान के अजमेर जिले में एक दलित महिला को उसके ही रिश्तेदार और पड़ोसियों ने डायन बताकर पीट पीट कर मार डाला गया। महिला के पति की मौत के बाद उसके ही ससुरालजन और गाँव वाले उसे डायन समझने लगे थे। जनवरी 2018 में तेलंगाना के हैदराबाद में एक व्यक्ति ने एक तांत्रिक के कहने पर चंद्र ग्रहण के दिन अपनी पत्नी की लम्बी बीमारी को ठीक करने के लिए अपने बच्चे को छत से फेंक कर बलि दे दी। जुलाई 2018 में दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 11 लोग मोक्ष पाने के लिए फाँसी के फंदे से लटक कर मर गये। इस घटना ने पूरे देश को चौंका दिया।



PHOTO: GOOGLE/ LIVEHINDUSTAN

इससे पता चलता है की अभी भी देश में अंधविश्वास की जड़े कितनी मजबूत है। 2018 में ही हरियाणा में जलेबी बाबा नाम के बाबा को गिरफ्तार किया गया जिसने तंत्र मंत्र के नाम पर 90 से अधिक लड़कियों के साथ चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया और 120 से अधिक अश्लील फिल्में बना ली। इस अंधविश्वास का दलदल जिसमें लोग फँसते ही जा रहे हैं इसे रोकना बहुत जरूरी है इसके लिए हमें और लोगों को जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लोग अंधविश्वास पर आसानी से ही यकीन करना छोड़ देंगे हमें अंधविश्वास को हटाने के लिए उसके पीछे के विज्ञान को तर्कवादी होकर समझना भी होगा और लोगों को समझाना भी होगा कि ये बाबा लोग किसी समस्या का इलाज करने के बजाय सिर्फ लोगों को भ्रमित करते हैं और इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी।

अंधविश्वास के खिलाफ कानून भी होना चाहिए लेकिन इसके लिए कोई पर्याप्त कानून नहीं है जिससे अंधविश्वास के नाम पर लोगों को जो हिंसक चीजों का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए पर्याप्त सबूत होने पर आईपीसी की धारा में इन मामलों में कानून लगते हैं जैसे कि किसी की हत्या कर देना, महिला की गरिमा को भंग करना, इंसान की बलि देना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भंग करना आदि। आइए हम सब मिलकर इस अंधविश्वास के खिलाफ एकजुट हो और समाज में जागरूकता फैलाकर इन बाबाओं के भ्रमित जाल से लोगों को बचाकर देश के विकास में अपना कर्तव्य निभाएं।



PHOTO: GOOGLE/ LIVEHINDUSTAN

"इतिहास के कलंकित सायों से बाहर
ऊपर उठती हूँ मैं
दर्द से गहराए अतीत से परे
ऊपर उठती हूँ मैं
मैं हूँ उछाल भरा विस्तीर्ण काला महासागर,
मेरे ज्वार-भाटे में ऊपर उठती है महातरंग।
आतंक और भय की रातों को पीछे छोड़
ऊपर उठती हूँ मैं
एक निहायत सुन्दर निर्मल सुबह
ऊपर उठती हूँ मैं
लाते हुए उन उपहारों को जो दिए थे मेरे
पुरखों ने
मैं हूँ गुलामों का स्वप्न और उनकी आशा –
ऊपर उठती हूँ मैं
ऊपर उठती हूँ मैं
ऊपर उठती हूँ मैं।"

(माया एंजलो की कविता 'फिर भी ऊपर उठती हूँ मैं' का अंश जिसका अंग्रेज़ी से अनुवाद किया है बालकृष्ण काबरा 'एतेश' ने)

हमसे संपर्क करें
INFO@CHARKHA.ORG

